स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

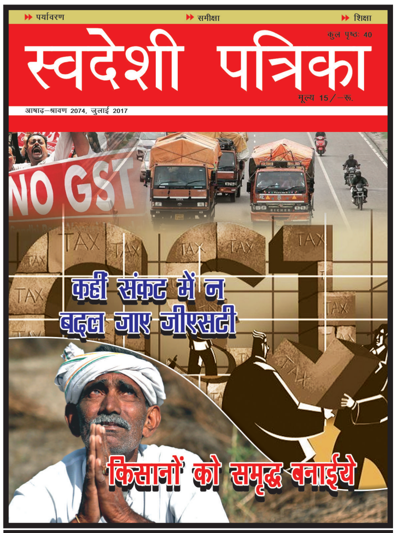

वर्ष–25, अंक–7
आषाढ़–श्रावण 2074, जुलाई 2017

संपादक
अजेय भारती

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 36-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

किसानों को समृद्ध बनाइए

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा-2
देश में किसानों के साथ अन्याय क्यों? ...... आशीष रावत

10 विचार
कहीं संकट में न बदल जाए जीएसटी ...... भरत झुनझुनवाला

12 समीक्षा
जीएसटी के जरिये जोर का झटका धीरे से ...... देविंदर शर्मा

14 ज्वलंत मुद्दा
गंभीर संकट में चीन – ऐसे में भारत क्यों बने तारनहार ...... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

17 जीएम फसलें
जीएम फसलें: पर्यावरण के लिए खतरनाक ...... भारत डोगरा

19 अर्थव्यवस्था
आर्थिक वृद्धि दर: कितनी सच–कितना भ्रम ...... कृति शर्मा, जया शर्मा व पुनीत शर्मा

23 विज्ञान
इसरो की लंबी छलांग – संचार क्रान्ति का नया युग ...... निरंकार सिंह

26 मुद्दा
खाद्य तंत्र पर आधिपत्य जमाती कंपनियां ...... रमेश कुमार दुबे

28 पर्यावरण
पैरिस जलवायु समझौते से अमरीकी पलायन और आगे की राह ...... दुलीचन्द रमन

30 शिक्षा
भारतीय शिक्षा का आधार: गुरू–शिष्य परंपरा ...... डॉ. रेखा भट्ट

33 आयुर्वेद
'अर्धरोगहरी निद्रा' उक्ति का विवेचन व सम्यक निद्रा सेवन के लाभ ...... वैद्या हेतल दवे

पाठकनामा

जीएम फसलों से पर्यावरण व जीवन को खतरा

स्वदेशी पत्रिका का जून 2017 अंक पढ़ा। प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा के आवरण लेख 'जीएम फसलों के खतरे व जीएम सरसों' ने जीएम फसलों से पर्यावरण व जीवन को होने वाले नुकसान से अवगत किया। जीएम सरसों से जल व मिट्टी के प्रदूषण व रासायनिक प्रदूषण का संकट हमेशा बना रहता है। इसकी उत्पादकता भी संदिग्ध है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पेंटल इसे स्वदेशी तकनीक बता रहे है, जो वास्तव में 'बर–बरस्टार–बर्नासे' जीन तकनीक है। 'बर' एवं 'बरस्टार' दोनों 'जीन' पर जर्मन कंपनी बायर क्रॉप साइंस का पेटेंट है। श्री भारत डोगरा के लेख 'जीएम फसलों पर पूर्ण रोक लगे' से जीएम फसलों को स्वास्थ्य व पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं बताया। वैसे भी जीएम सरसों एक खरपतवारनाशक फसल के रूप में देखी जा रही है। एक जर्मन कंपनी ने इस फसल को अपने देश में पैदा करने से मना कर दिया है। इसके उपयोग से न केवल कैंसर व गर्भपात जैसी अनेक बीमारियां पैदा होती है बल्कि जल व मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है। जीएम सरसों भी इसी तरह का नुकसान पहुंचाती है।

पत्रिका के इस अंक में कृषि विज्ञानी देविन्दर शर्मा द्वारा देश में आने वाले दिनों में होने वाली अनाज की कमी की चिंता एक तरह से वाजिब चिंता है। जिस तरह से कृषि संकट खड़ा हो रहा है, यह 1943 के अकाल की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ सरकार देश में अनाज उत्पादन का रिकार्ड बता रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भारी मात्रा में विदेशों से अनाज आयात भी कर रही है। दलहन की भारी खेप आयात होने के चलते देश के कई राज्यों के दलहन उत्पादक किसान अपनी उपज को लेकर खासे परेशान है। गत वर्ष मसूर 7000 रूपये कुंतल तक खुले बाजार में बिकी थी। वहीं मसूर इस बार 2000 रूपये के भाव भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन सबके बीच आशीष रावत का लेख 'कश्मीर की आग..' बहुत प्रासंगिक लगा।

अनिल तिवारी, *बलिया (उत्तर प्रदेश)*

✽✽✽✽✽

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

ट्वीट्स

भारत में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, आईये एक ऐसा भारत बनाएं, जिस पर गांधी जी को गर्व होगा।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

हमारे दोनों राष्ट्र आतंकवाद की बुराइयों से प्रभावित हुए हैं, और हम दोनों ही आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने और कट्टरपंथी विचारधारा को नष्ट करने के लिए दढ़ हैं। हम कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को नष्ट करेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप
राष्ट्रपति, अमरीका

स्वागत है, मेरे दोस्त... हम भारत से बेहद प्यार करते हैं। आप विश्व के महान लीडर हैं। हमारा रिश्ता आकाश से भी ऊंचा है। हम अंतरिक्ष तक में साझेदारी कर रहे हैं। हम साथ मिलकर ज्यादा और बेहतर कर सकते हैं।

बेंजामिन नेतन्याहू
प्रधानमंत्री, इस्राइल

चीन को समझना चाहिए के 1962 और 2017 के भारत की स्थिति में बहुत फर्क है। उस वक्त के हालात दूसरे थे और आज के हालात अलग हैं।

अरूण जेटली
रक्षा मंत्री

सं
पा
द
की
य

जीएसटी तो लागू, लेकिन कैसे होगी ग्रोथ

अंततोगत्वा जीएसटी तो लागू हो गया है, जिसे सरकार अभी तक के सबसे बड़े आर्थिक सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। जीएसटी के लागू होने से पहले इसके संबंध में आशंकाओं और विरोधों का एक पूरा इतिहास है। जीएसटी लागू होने में बाधा डालने वाले कई मुद्दे थे, जिसमें शामिल थे, राजस्व घटने की आंशका कि कहीं केंद्र और राज्यों का राजस्व ही न घट जाये, संघीय ढ़ांचे की समस्या कि कहीं राज्यों को नुकसान न हो। कहीं–कहीं तो विशुद्ध राजनीतिक मुद्दे भी इस चर्चा में हावी रहे। एक तरफ सरकार यह कह रही है कि जीएसटी स्वाधीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है, लघु उद्योग और छोटे व्यापारी इसके लागू होने से भयंकर रूप से घबराये हुए हैं, जबकि बड़े उद्योग बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी प्रसन्न हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने लघु उद्योगों और छोटे व्यापारियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और सरकार से मांग भी की है कि लघु उद्योगों और व्यापारियों की उचित मांगों का निराकरण किया जाये। जीएसटी एक बड़ा कर सुधार है, जिससे कर प्रणाली आसान हो जाएगी, यह भी दिखाई नहीं देता क्योंकि हर व्यापारी और उद्योग को कई प्रकार के पंजीकरण कराने होंगे और विभिन्न प्रकार की रिटर्न भरनी होगी। उसके अलावा जीएसटी की पेचीदिगियां कर की विविध दरों के कारण और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए वास्तव में जीएसटी फायदेमंद होगा या नहीं, कीमतें घटेंगी या नहीं, करदाताओं की समस्याएं घटेंगी या बढ़ेंगी या सरकार का राजस्व बढ़ेगा या घटेगा, इन सब प्रश्नों पर सवालिया निशान लगा हुआ है।

दूसरी तरफ, आज अर्थव्यवस्था मांग में कमी की समस्या से गुजर रही है। उपभोक्ता मांग, निवेश मांग और यहां तक कि सरकारी मांग, सभी बढ़ ही नहीं पा रहीं। आज जबकि हमारे देश में मांग बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है, मौद्रिक नीति कमेटी द्वारा हाल ही में नीतिगत ब्याज दर को नहीं घटाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की केंद्र सरकार, विशेष तौर पर वित्तमंत्री द्वारा सख्त आलोचना हुई है। वित्तमंत्री और रिजर्व बैंक, विशेष तौर पर उसके गवर्नर के बीच ब्याज दरों को लेकर तनातनी कोई नई बात नहीं है। जग जाहिर है कि सरकार की अधिकांश मौकों पर यह चाहत रहती है कि ग्रोथ को बढ़ावा देने हेतु ब्याज दरों को घटाया जाये। ऐसा इसलिए है कि यदि ब्याज दरें घटेंगी, तो एक ओर निवेश बढ़ेगा और दूसरी तरफ कार, घर और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि अब उधार लेना सस्ता होगा। केवल उद्योगों, व्यवसायों में ही नहीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश, ब्याज दर कम होने के कारण आसान हो जाता है। यही नहीं, हम जानते हैं कि देश में सबसे बड़ी कर्जदार ईकाई सरकार ही होती है। ब्याज दरें कम होने पर सरकार की ब्याज अदायगी भी कम होती है। लेकिन ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक हमेशा सरकार से सहमत नहीं होता। उसका कहना है कि मौद्रिक नीति का लक्ष्य केवल ग्रोथ ही नहीं, कीमत स्थिरता भी है। रिजर्व बैंक का कहना होता है कि चूंकि कीमत वृद्धि थम नहीं रही, इसलिए ब्याज दरों में कमी, मांग को बढ़ाकर मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है। यह जोखिम उठाना कीमत स्थिरता के लक्ष्य के विरूद्ध है। प्रमुख आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मन्यम का कहना है कि मई माह में चूंकि मुद्रा स्फीति की दर 3.73 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी, इसलिए ब्याज दरों को आसानी से घटाकर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सकता था। यानि कहा जा सकता है कि मौद्रिक नीति कमेटी ने एक मौका यूं ही गंवा दिया है। गौरतलब है कि लक्षित मुद्रास्फीति फरवरी 2016 से पहले तो 6 प्रतिशत तय की गई थी लेकिन उसे उत्तरोत्तर कम करते हुए अप्रैल 2017 से 4 प्रतिशत ही रखा गया है। ऐसे में चूंकि मई माह में जब मुद्रा स्फीति मात्र 3.73 प्रतिशत तक पहुंच गई है, इसलिए नीतिगत ब्याज दर को घटाना अपेक्षित था।

शायद रिजर्व बैंक को यह आशंका है कि मुद्रा स्फीति में यह कमी स्थायी नहीं है और संभव है कि मुद्रा स्फीति इससे ज्यादा हो जाये। रिजर्व बैंक का हालिया मौद्रिक नीति व्यक्तव्य कहता है कि 2017–18 के वित्तीय वर्ष की अंतिम छमाही में मुद्रा स्फीति बढ़ सकती है। लेकिन ध्यात्वय है कि रिजर्व बैंक पिछले काफी समय से मुद्रा स्फीति के जो भी अनुमान देता रहा है, मुद्रा स्फीति उससे कम ही रही है। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ने यह अनुमान दिया था कि 2016–17 की अंतिम तिमाही में मुद्रा स्फीति 5 प्रतिशत होगी, वास्तव में मुद्रा स्फीति मात्र 3.6 प्रतिशत ही रही। इसलिए रिजर्व बैंक के लगातार गलत सिद्ध होते अनुमान, यह दर्शाते है कि शायद मुद्रा स्फीति के अनुमान की विधि में कुछ सुधार की जरूरत है। यहीं नहीं, इस आलोक में रिजर्व बैंक को 'रेपो रेट' नहीं घटाने की जिद्द पर भी पुनर्विचार की जरूरत है। ऐसे में ब्याज दर में कमी बहुत जरूरी है। लेकिन एक ओर उपभोक्ता मुद्रा स्फीति लक्षित मौद्रिक नीति और दूसरे, रिजर्व बैंक की लगातार गलत सिद्ध होते मुद्रा स्फीति के अंदाज के बावजूद रेपो रेट को नहीं घटाया जाना, इस बात की ओर इंगित करते है कि शायद रिजर्व बैंक ब्याज दर को नहीं घटाने की जिद्द लिये हुए है, जो देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ❑

किसानों को समृद्ध बनाइए

वर्तमान का कषि संकट उत्पादन में कमी या प्राकतिक आपदा के कारण नहीं है। साथ ही यह कषि संकट हाल ही में उत्पन्न नहीं हुआ है। यह संकट गहरा है और इसका निदान भी गहराई से करना जरूरी है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि वर्तमान के नीति निर्माता इसकी गहराई समझने के लिए तैयार नहीं है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

पिछले कुछ समय से चल रहे किसान आंदोलनों के चलते देश में कृषि संकट फिर से चर्चा में आ गया है। इसके प्रभाव से आनन–फानन में राज्य सरकारों ने कृषि ऋणों की माफी भी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं कि कृषि उत्पादन में हाल ही में कोई कमी आई है, बल्कि इस साल गेहूं, चावल, दाल और तिलहन का तो रिकार्ड उत्पादन हुआ है। गन्ने को छोड़ सभी नकदी फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। उसके बावजूद पिछले कई सालों से चल रही किसान आत्महत्याओं का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले तीन सालों से चल रही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का लगातार दावा रहा है कि उन्होंने किसानों और ग्रामीण विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। हर साल बजट में कृषि ऋणों के लक्ष्य भी बढ़ाया जाता रहा है।

बढ़ता उत्पादन फिर भी कृषि संकट

2015–16 की तुलना में यदि 2016–17 की उत्पादन के आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि गेहूं के उत्पादन में 5.6 प्रतिशत, चावल के उत्पादन में 4.5 प्रतिशत, दालों के उत्पादन में 36 प्रतिशत, तिलहनों के उत्पादन में 33 प्रतिशत और कपास के उत्पादन में 8.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। यदि उत्पादकता को देखा जाए तो पिछले दस सालों में गेहूं की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में 12.5 प्रतिशत और चावल में 16 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। कुल मिलाकर कृषि में उत्पादन और उत्पादकता दोनों में खासी बड़ी वृद्धि दर्ज हुई है।

यानि कहा जा सकता है कि वर्तमान का कृषि संकट उत्पादन में कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं है। साथ ही यह कृषि संकट हाल ही में उत्पन्न नहीं हुआ है। यह संकट गहरा है और इसका निदान भी गहराई से करना जरूरी है। लेकिन चिंता का विषय यह है

कि वर्तमान के नीति निर्माता इसकी गहराई समझने के लिए तैयार नहीं है।

पिछले 37 सालों में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 38 प्रतिशत से घटकर मात्र 15 प्रतिशत ही रह गया है। स्थिति यह है कि 2011 की जनगणना के आर्थिक–सामाजिक आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 92 प्रतिशत गृहस्थ ऐसे हैं, जिनमें अधिकतम आय वाले सदस्य की आय 10000 रूपए से भी कम थी। 95 प्रतिशत गृहस्थों में तो यह 5000 रूपए से भी कम थी।

आजादी के बाद आती–जाती सरकारों ने अपने–अपने ढंग से कृषि की समस्याओं से निपटने का प्रयास किया है। 1960 के दशक के अन्न संकट को नई कृषि नीति के अंतर्गत हाईब्रिड बीजों, रसायनिक खाद और कीटनाशकों के पैकेज द्वारा निपटाया गया। अन्न का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन आगे चलकर कृषि उत्पादन असंतुलित होने लगा और अंततोगत्वा एक कृषि प्रधान देश भारत शेष दुनिया से 94000 करोड़ रूपये की दालों और खाद्य तेलों का अयातक देश बन गया। कृषि प्रधान देश, जहां सभी राजनेता किसान की खुशहाली लाने के नाम पर वोट बटोरते हैं, में वर्ष 1995 से 2015 तक के 20 वर्षों में 322028 किसान आत्महत्या कर चुके थे (नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार)। आत्महत्याओं का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है।

कृषि नीति बनाम कर्जमाफी

सरकार आयात निर्यात नीति, औद्योगिक नीति आदि सभी प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाती है। लेकिन कुछ अनजान कारणों से कृषि नीति नहीं बनाई जाती। बिना सुविचारित मत के 'जीएम' बीजों की वकालत (नीति आयोग समेत कई संस्थाओं द्वारा) होने लगती है, लेकिन स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता पर उनके असर हो हल्के से निपटा दिया जाता है। जिस जोशोखरोश से बीटी कपास का गुणगान गाया जाता था, उसके फेल हो जाने के बाद, उसका दोष स्वीकार भी नहीं किया जाता। यानि सही कृषि नीति पर कोई सोच नहीं। विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के नाम पर 'जीएम' परोस दिया जाता है। कृषि संकट के प्रति अपनी संवेदना का प्रदर्शन अभी तक सरकारों ने कृषि ऋण माफी द्वारा ही किया है। पहले यूपीए सरकार ने किसानों के 70,000 करोड़ रूपये के कृषि ऋण माफ कर दिये। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऋण माफी की घोषणा कर दी है। उसी तर्ज पर भाजपा शासित अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि में भी ऋण माफी की मांग को लेकर आंदोलन तेज होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो डेढ़ लाख रूपये तक के कर्ज माफी की घोषणा भी कर दी है।

कर्ज माफी नहीं है समाधान

बढ़ती लागतों, उपज का लाभकारी मूल्य न मिलना, फसलों के नष्ट होने, बीमारियों पर बढ़ते खर्च आदि के कारण किसान ऋणग्रस्त, बदहाल और गरीब एवं अपनी भूमि से वंचित हो रहा है। ऐसे में ऋण माफी के बाद बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं आदि से लिये गये ऋण तो माफ हो जायेंगे लेकिन साहूकारों, व्यापारियों, रिश्तेदारों से लिये ऋण तो उसे चुकाने ही पड़ेंगे। दूसरी ओर जिन कारणों से किसान ऋणी होता है, वे तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं।

कृषि उपज का सही मूल्य ही है समाधान

यदि देखा जाए तो किसान को उसकी उपज का सही मूल्य ही नहीं मिल पाता। कृषि वस्तुओं के समर्थन मूल्य महंगाई के अनुपात में भी नहीं बढ़ते। खाद्य मुद्रा स्फीति, जिसका हवाला देकर समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने का तर्क दिया जाता है, समर्थन मूल्य के कारण नहीं सट्टेबाजी के कारण बढ़ी है। दूसरी ओर कृषि लागतें बढ़ती जा रही है। महंगे उपकरण महंगी खाद और कीटनाशक कृषि को मंहगा सौदा बनाते जा रहे हैं। इसलिए लागतों में कमी और कृषि उपज का लाभकारी मूल्य कृषि संकट का एकमात्र समाधान है। इस बाबत एम.एस. स्वामीनाथन रपट को लागू करना बेहद जरूरी है, जिसमें कहा गया था कि किसानों को उनकी लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम मूल्य देना चाहिए। इस बावत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी वायदा किया गया था, जिसे सरकार में आने के तीन साल बाद भी लागू नही किया गया। जिस अनुपात में एक के बाद एक राज्य सरकारें आनन–फानन में कृषि ऋण माफी की घोषणाएं करती जा रही हैं, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले एक वर्ष में लगभग दो लाख करोड़ रूपए के ऋणों की माफी हो जाएगी। यदि इस राशि का आधा भी किसानों को उसकी उपज के सही मूल्य दिलाने में खर्च किया जाए तो भी किसानों की आर्थिक स्थिति में कई गुणा मजबूती आएगी।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की सहायक गतिविधियां और व्यवसायों को बढ़ावा देना नितांत जरूरी है। गुजरात का 'अमूल मॉडल' इंगित कर रहा है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में डेयरी का बड़ा योगदान हो सकता है। इसके अलावा मुर्गी पालन, मशरूम, बागवानी जैसी अनेकों सहायक गतिविधियां किसानों की हालत सुधारने के लिए नितांत जरूरी है। गांवों में फूड प्रोसेसिंग अन्य छोटे और कुटीर उद्योग, किसान को वैकल्पिक रोजगार दे सकते हैं पूर्व के योजना आयोग के सदस्य स्व. एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करना होगा, ताकि ग्रामीण रोजगार का भी निर्माण हो और उत्पादन एवं आमदनियां भी बढ़े। ❑❑

देश में किसानों के साथ अन्याय क्यों?

कृषि मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार किसान की लगभग चालीस हजार करोड़ की उपज खेत से मंडी तक आते–आते सड़ जाती है। देश में अनेक सरकारें सत्ता में आई मगर खराब होने वाले कृषि उत्पादों को रखने के लिए अभी तक कोल्ड स्टोरेजों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। जो कोल्ड स्टोरेज हैं वह भी बिजली की कमी के कारण सही ढंग से काम नहीं कर पाते। नतीजा यह होता है कि उसमें रखा हुआ सारा कृषि का उत्पाद खराब हो जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि अभी तक भारत की कृषि भगवान भरोसे है। सरकार के लम्बे–चौड़े दावों के बावजूद सिंचाई क्षेत्र में केवल 11 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। वर्तमान सिंचाई योजनाओं के जल भंडारण के लिए बनाए गए जलाशयों में गाद (मिट्टी) तेजी से जमती जा रही है। इसके कारण उनमें जल भंडारण की मात्रा में निरंतर कमी हो रही है। जिसका नतीजा बेचारे किसानों को भुगतना पड़ता है। खेद की बात है कि जो भी दल सत्ता में होता है वह किसान आंदोलनों के पीछे विपक्षी दलों की भूमिका की ओर संकेत करने से बाज नहीं आता। सरकार हमेशा यह आरोप लगाती है कि किसान आंदोलनों को विपक्षी दल भड़काते हैं और वह गुंडागर्दी करके इसे हिंसा की ओर मोड़ देते हैं जबकि किसान नेताओं का यह आरोप है कि सरकारी एजेंट जानबूझकर किसान आंदोलनों को हिंसक रूप देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, संपत्ति को फूंकते हैं ताकि उसकी आड़ में पुलिसबल प्रयोग करके किसान आंदोलनों को दबा सके। यही अब भी हो रहा है। उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण जो किसान आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था वह धीरे–धीरे मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। एक सप्ताह तक मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था। सत्तारूढ़ दल को यह नहीं भाया और उसने आंदोलन के नेताओं को दरकिनार करके संघ परिवार के संगठन भारतीय किसान संघ से समझौता किया और मुख्यमंत्री ने इंदौर में यह घोषणा कर दी कि किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इस घोषणा से आंदोलनकारी भड़क उठे और इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। पांच दिनों में मऊ, देवास, उज्जैन, सिहोर आदि कई जिलों में किसान प्याज, टमाटर और दूध को सड़क पर फेंककर विरोध जता चुके थे। 6 जून को पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई और पुलिस ने उन पर गोली चलाई जिनमें 6 किसान मारे गए। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार के गैर–जिम्मेवार रूख को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य के गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने घोषणा कर दी कि पुलिस ने तो गोली चलाई नहीं। हालांकि, बाद में उन्हें अपना यह बयान वापस लेना पड़ा क्योंकि पुलिस के आईजी ने पत्रकारों के सामने स्वीकार किया कि गोली पुलिस ने ही चलाई थी। दुःख की बात है कि मध्य प्रदेश में मरने वाले किसानों के बारे में प्रधानमंत्री या

सरकार हमेशा यह आरोप लगाती है कि किसान आंदोलनों को विपक्षी दल भड़काते हैं और वह गुंडागर्दी करके इसे हिंसा की ओर मोड़ देते हैं जबकि किसान नेताओं का यह आरोप है कि सरकारी एजेंट जानबूझकर किसान आंदोलनों को हिंसक रूप देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, संपत्ति को फूंकते हैं ताकि उसकी आड़ में किसान आंदोलनों को दबा सके।

– आशीष रावत

किसी केंद्रीय मंत्री को संवेदना व्यक्त करने की जरूरत तक महसूस नहीं हुई। उल्टा सरकारी तंत्र ने यह प्रचार किया कि पुलिस की गोली से मरने वाले किसान नहीं हैं। इस बयान के कारण किसान आंदोलन मध्य प्रदेश के अन्य भागों में भी तेजी से फैल गया। इससे डरकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पुलिस फायरिंग में मरने वाले किसानों को एक–एक करोड़ मुआवजा देने की घोषणा कर दी। परेशान किसानों ने अनेक जगहों पर सैकड़ों वाहनों को फूंक डाला। पुलिसथानों और चौकियों पर हमले किए गए। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में अघोषित कर्फ्यू लगा रखा है। विपक्षी नेताओं को इन क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। कृषि मंत्री गौरीशंकर बसेन इस बात पर डटे हुए हैं कि किसानों से तभी बात होगी जब वह आंदोलन वापस लेंगे। इसके साथ ही अधिकांश आंदोलनकारी किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के असंतुष्ट भाजपाई नेता और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा शुरू से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विरोधी रहे हैं। उनका कहना है कि किसान हिंसा नहीं भड़का रहे हैं बल्कि प्रशासन और पुलिस उन्हें हिंसा के लिए उकसा रहा है।

तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान भी सूखे का शिकार हैं। तमिलनाडु के किसानों ने कर्ज माफी के लिए धरना तक दिया था मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने और कर्ज माफी के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। तमाम मुसीबतें सहकर भी यदि किसान किसी तरह फसल को बाजार तक ले जाने में सफल हो जाता है तो उसे उसकी मेहनत का पर्याप्त दाम नहीं मिलता। इस लाचारी से जन्मा अवसाद उसे कभी आत्महत्या के लिए विवश करता है और कभी आंदोलन के लिए। अन्नदाता यदि अवसाद में है तो क्या हमारे राज्यतंत्र को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो किसान आंदोलन अचानक अप्रिय प्रसंगों का साक्षी बन गया। महाराष्ट्र में भी किसान सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी धरतीपुत्रों का असंतोष महसूस किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने कर्ज माफी की घोषणाओं पर अमल को लेकर, तो राजस्थान के किसानों ने लहसुन के दामों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। राजस्थान में आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू भी हो गई है। सरकारों ने किसानों से संबंधित योजनाओं को लेकर बड़े–बड़े दावे किए हैं लेकिन यह भी एक बड़ा सच है कि देशभर में किसान आज अपनी छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने में भी स्वयं को असहाय पा रहा है। कहीं उसके पास सिंचाई के लिए पानी नहीं है, कहीं उसे पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही तो कहीं अकाल की मार उसके सपनों की धरती पर दरारें खींच रही है। तमाम मुसीबतें सहकर भी यदि किसान किसी तरह फसल को बाजार तक ले जाने में सफल हो जाता है तो उसे उसकी मेहनत का पर्याप्त दाम नहीं मिलता। शायद यही कारण रहा कि रामायण के अयोध्या कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक स्थान पर अपने अनुज भरत से कहते हैं कि मनुष्यों का कृषि तथा गोरक्षा के कार्यों में संलग्न रहना वास्तविक सुख प्राप्ति है। उस युग में कृषि–कार्य की महत्ता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि स्वयं शासक द्वारा खेत में हल चलाना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता था। खेत जोतना कुछ यज्ञ परम्पराओं का अनिवार्य हिस्सा था। स्वयं राजा जनक ने जब ऐसे ही एक यज्ञ के अवसर पर खेत में हल चलाया तो उन्हें सीता की प्राप्ति हुई थी। महाभारत में एक स्थान पर कृष्ण ने स्वयं को कृषि–कर्म करने वाला घोषित किया था। रामायण में कहा गया है कि धान्य की संपन्नता से ही राज्य की समृद्धि है। लेकिन रामायण काल से अब तक उस गंगा में बहुत सारा जल बह गया है, जिस गंगा के दोआब ने भारतीय कृषिकर्म को सफलता और संपन्नता के नव सोपानों तक पहुंचाया था। कौटिल्य ने कहा है "राजा को अपने राज्य में कृषि को बढ़ाने और कृषि–कार्य में संलग्न लोगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।" कहावतों में खेती को अब भी सबसे उत्तम व्यवसाय बताया गया है, लेकिन हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब एक किसान महीने भर में उतना नहीं कमा पाता हो जितना किसी साधारण सरकारी अफसर को दस दिन के महंगाई भत्ते के रूप में मिल जाता हो, तब खेतों की निराई, गुड़ाई, जुताई या बुवाई में कौन पीढ़ियों को खपाएगा? किसानों के कल्याण के नाम पर कर्ज माफी की कई योजनाएं पिछले कुछ सालों में अलग–अलग सरकारों के स्तर पर कार्यांवित तो हुई हैं लेकिन उन योजनाओं का वास्तविक लाभ शायद ही उन लोगों तक पहुंचा, जिन्हें लाभांवित करने की मंशा रही होगी। ❑❑

"राजा को अपने राज्य में कृषि को बढ़ाने और कृषि–कार्य में संलग्न लोगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।"– कौटिल्य

कहीं संकट में न बदल जाए जीएसटी

मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) लागू करके महान उपलब्धि हासिल की है। जीएसटी के अंतर्गत व्यापार कई तरह से सुलभ हो जाएगा। अब तक उद्योगों को एक्साइज ड्यूटी तथा सेल टैक्स अलग–अलग अदा करना होता था तथा इनके रिटर्न अलग–अलग दाखिल करने होते थे। इन दोनों टैक्सों का विलय जीएसटी में हो गया है। उद्यमी को अब एक ही टैक्स अदा करना होगा एवं एक ही टैक्स अधिकारी से संपर्क करना होगा। अंतर्राज्यीय व्यापार आसान हो जाएगा। अब तक एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजने के लिए बार्डर पर सेल टैक्स फार्म जमा करना होता था। एक राज्य में अदा किए गए वैट की क्रेडिट दूसरे राज्य में नही मिलती थी। अब राज्यों के बीच बेरोकटोक माल का आवागमन होगा। एक राज्य में अदा किए गए जीएसटी की क्रेडिट दूसरे राज्य में ली जा सकेगी। तीसरा अंतर है कि अब तक सर्विस टैक्स, जैसे रेल यात्रा, टेलीफोन अथवा बिजली पर अदा किए गए सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलता था, अब इनकी क्रेडिट ली जा सकेगी। छोटे व्यापारियों को छूट दी गई है। 20 लाख तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया है। इन क्रांतिकारी सुधारों का अर्थव्यवस्था पर सुप्रभाव पड़ेगा। हम आशा कर सकते है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ेगी जैसे गाड़ी में अच्छा मोबिल आयल डालने से उसकी रफ्तार सहज ही बढ़ जाती है।

दूसरी तरफ जीएसटी में कागजों का टंटा है। जीएसटी के नियमों का अनुपालन कठिन है। जैसे व्यापारी को माल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के पहले बिल काटकर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस बिल में माल की क्वालिटी, मात्रा, क्रेता की डिटेल तथा उस वाहन की डिटेल डालनी होगी, जिससे माल भेजा जा रहा है। इसके बाद व्यापारी को ई–वे बिल बनाना होगा जैसे वर्तमान में डिलेवरी चालान होता है। वाहन को अपने साथ इसे

जीएसटी लागू होने से अंतर्राज्यीय व्यापार सरल हो जाएगा। सर्विस टैक्स का क्रेडिट लिया जा सकेगा। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन कागजी कार्यों की वद्धि के कारण यह सुप्रभाव कुछ मंद पड़ जाएगा। कितना मंद पड़ेगा, यह समय ही बताएगा। – **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

ई–वे बिल को रखना होगा। यदि माल का एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पलटी किया जाता है तो ट्रक ड्राइवर को नए ट्रक की डिटेल जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी ओर पोर्टल से नया ई–वे बिल निकालना होगा। उद्योगों के लिए कागजी कार्य बहुत बढ़ जाएगा। वर्तमान में इन्हे केवल एक कागजी बिल काटना होता था जो कि पर्याप्त होता था। अब इसमें माल का पूरा विवरण तथा वाहन की डिटेल भी डालनी होगी। इन प्रावधानों का उद्देश्य नंबर दो के धंधे पर नियंत्रण पाना है।

मेरा आकलन है कि यह व्यवस्था नंबर दो को बंद करने में नाकाम होगी। एक कारण है कि एक्साइज ड्यूटी तथा सेल टैक्स का विलय दोतरफा तलवार है। एक तरफ इससे टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होता है तो दूसरी तरफ इससे नंबर दो का धंधा भी आसान हो जाता है। एक उद्यमी ने बताया कि वर्तमान में उन्हे नंबर दो में माल उठाने के लिए एक्साइज और सेल टैक्स के अधिकारियो का अलग–अलग हिस्सा बांधना होता है। उनके अनुसार अब यह कार्य आसान हो जाएगा चूँकि अब केवल एक जीएसटी अधिकारी का हिस्सा बांधना होगा। नंबर दो को रोकने के लिए ई–वे बिल की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में व्यापारी एक ही बिल पर कई बार गोदाम से माल निकाल लेते है। ट्रक के साथ बिल गन्तव्य स्थान को जाता है। माल पहुँच जाने के बाद वह बिल वापस लाकर उसी बिल पर दुबारा माल भेजा जाता है। यह व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। अंतर मात्र यह पड़ेगा कि निर्धारित अवधि में उसी वाहन से दुबारा माल को भेजना होगा। जैसे 120 किलोमीटर दूर क्रेता को माल भेजने का ई–वे बिल 3 दिन के लिए वैध होता है। सोनीपत से दिल्ली की 120 किलोमीटर की दूरी उसी वाहन द्वारा 3 दिन में 6 बारी पूरी की जा सकती है।

नंबर दो के जारी रहने का तीसरा कारण टैक्सकर्मियों का मूल चरित्र है। हम देख चुके है कि नोटबंदी को किस प्रकार बैंककर्मियों ने फेल किया है। छोटे लोग 4,000 रुपए बदलने के लिए घंटों लाइन में लग रहे थे जबकि बड़ी मछलियां तीन दिन बाद ही नए नोटों में लाख–लाख रुपए का नगद में धंधा पूर्ववत कर रही थी। देश के टैक्सकर्मी यदि ईमानदार होते तो नंबर दो का धंधा होता ही नही। जैसा ऊपर बताया गया है कि नंबर दो के माल में टैक्सकर्मियों का हिस्सा बंधा होता है। जीएसटी के अंतर्गत नंबर दो की समानान्तर व्यवस्था चलते रहने का मेरा अनुमान है। इन कारणों से जीएसटी व्यवस्था से नंबर दो को बंद करने में मदद कम ही मिलेगी। कच्चे माल की खरीद पर अदा किए गए एक्साइज ड्यूटी तथा वैट का क्रेडिट पहले भी उपलब्ध था लेकिन नंबर दो का धंधा चलता रहा। तब जीएसटी में इस क्रेडिट के कारण नंबर दो का धंधा बंद क्यों होगा? यूँ समझिए कि अच्छी कंपनी का ठप्पा लगे डुप्लीकेट मोबिल आयल को डालने से गाड़ी नहीं दौड़ती है। इसी प्रकार जीएसटी की दिखावटी कागजी कार्यवाही बढ़ाने से चोरी कम नहीं होगी।

टैक्स की चोरी बंद करने का मूल मंत्र नैतिक दबाव होता है। जनता को महसूस होना चाहिए कि टैक्स देना उसकी जिम्मेदारी है। उसे लगना चाहिए कि टैक्स अदा न करना पाप होगा।

सरकार को समझना चाहिए कि ताले शरीफों के लिए लगाये जाते है। चोर के लिए ताले को खोलना आसान काम होता है। टैक्स की चोरी बंद करने का मूल मंत्र नैतिक दबाव होता है। जनता को महसूस होना चाहिए कि टैक्स देना उसकी जिम्मेदारी है। उसे लगना चाहिए कि टैक्स अदा न करना पाप होगा। यह नैतिक दबाव तब बनेगा जब सरकार पारदर्शी तरीके से जनता को दिखा सकेगी कि वसूले गए राजस्व का जनहित में सदुपयोग हो रहा है। मोदी सरकार ने सरकारी धन के उपयोग में निश्चित रूप से सुधार लाया है। परंतु राजस्व का बड़ा हिस्सा भ्रष्ट सरकारी कर्मियों को उत्तरोत्तर अधिक सुविधाएं मुहैया कराने में किया जा रहा है। मोदी के वैभव से भी जनता में सौहार्द उत्पन्न नहीं होता है। जैसे सोने के तार से ''मोदी'' लिखे कपड़े की मंहगी सूट पहन कर प्रधान मंत्री चाय वाले से जीएसटी अदा करने को कहें तो नैतिक दबाव नही बनता है। नैतिक दबाव के अभाव में कागजी प्रपंच बढ़ाने का परिणाम होगा कि टैक्स कर्मियों का हिस्सा बढ़ेगा, व्यापार की गति धीमी होगी, और नंबर दो का धंधे में मामूली अंतर पड़ेगा–इसमें वृद्धि भी हो सकती है।

जीएसटी के साथ–साथ मोदी सरकार की कर्मठता के अर्थव्यवस्था पर दो परस्पर विरोधी प्रभाव होंगे। जीएसटी लागू होने से अंतर्राज्यीय व्यापार सरल हो जाएगा। सर्विस टैक्स का क्रेडिट लिया जा सकेगा। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन कागजी कार्यों की वृद्धि के कारण यह सुप्रभाव कुछ मंद पड़ जाएगा। कितना मंद पड़ेगा यह समय ही बताएगा। हो सकता है कि सरलीकरण का सुप्रभाव कम और कागजी कार्य का कुप्रभाव ज्यादा हो। दूसरी तरफ सरकार के वैभव तथा भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के उत्तरोत्तर बढ़ते वेतन से टैक्स की चोरी करने का नैतिक आधार पूर्ववत बना रहेगा। जीएसटी का अंतिम परिणाम नोटबंदी की तरह घातक सिद्ध हो सकता है। ❑❑

जीएसटी

जोर का झटका धीरे से

यदि आपको याद हो तो कुछ साल पहले टीवी पर एक विज्ञापन आता था। इस विज्ञापन में आने वाले फिल्मी सितारे गोविंदा यह संदेश देते थे, 'जोर का झटका धीरे से।' वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अमल में लाने की योजना बनाते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भी यही रणनीति बनाई और यह काम कर गई। जीएसटी लागू होने के दो दिन बाद वित्तमंत्री ने विभिन्न शहरों में व्यापारियों के विरोध पर अचरज जताया। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'ट्रेड में लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं, ट्रेड को अपनी जेब से पैसा नहीं देना है, वह तो कंज्यूमर पर लगता है।' हालांकि, जेटली कह रहे हैं कि कंज्यूमर शिकायत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तर्कसंगत दरें तय की हैं। साफ है कि सरकार ने बहुत चतुराई से यह सुनिश्चित किया है कि 'जोर का झटका धीरे से लगे।'

सच तो यह है कि उपभोक्ता को तो जीएसटी का दंश भी महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि वित्तमंत्री ने लोगों को जीएसटी की ऊंची दरें बर्दाश्त करने के लिए सर्विस टैक्स बढ़ाकर तैयार कर लिया था। उन्होंने 2015 के बजट में सेवा कर 12.36 से 14 फीसदी तक बढ़ाया जो 2016 में 15 फीसदी कर दिया गया। 2015 में जब सेवा कर 12.36 से 14 फीसदी किया गया था तो कोई हल्ला नहीं मचा। इसे 0.5 फीसदी और बढ़ाया। नाम दिया गया 'स्वच्छ भारत' शुल्क। फिर कृषि शुल्क के नाम पर 0.5 फीसदी और बढ़ाया गया। क्रमशः और चरणबद्ध रूप से जैसे सेवा कर बढ़ाया गया उससे उपभोक्ता करों के अतिरिक्त

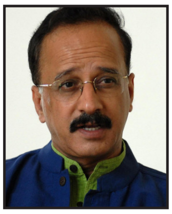

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तो यह बताता है कि जीएसटी वास्तव में बड़े बिज़नेस को बाजार पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने में मदद करता है और इस तरह छोटे उद्योग बाजार से बाहर हो जाते हैं।
– देविंदर शर्मा

बोझ को सहन करने के लिए तैयार हो गया। विचार यही था कि आम आदमी को धीरे–धीरे बड़ी दरों से एडजस्ट करने के लिए तैयार किया जाए।

सिर्फ आपको एक दृष्टिकोण देने के लिए बताएं कि सेवा कर से ही पिछले वित्त वर्ष में 40 हजार करोड़ रुपए मिले। उसके बाद यदि हम 2015 से उत्तरोत्तर सेवा कर वृद्धि पर विचार करे तो लोगों को यह अहसास ही नहीं है कि वे पहले ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी की तैयारी में ही दे चुके हैं। चूंकि 81 फीसदी सेवाएं 18 फीसदी या इससे नीचे की दरों के दायरे में आती हैं तो ग्राहकों ने स्वेच्छा से कीमतों में वृद्धि को स्वीकार किया है। हालांकि 3 फीसदी की वृद्धि को वृहत्तर कल्याण के लिए बहुत छोटा त्याग बताया जा रहा है लेकिन, कुछ महीनों बाद उन्हें इसका अहसास होगा जब जीएसटी सुधार का पूरा बोझ सुविधानजक ढंग से उन पर डाल दिया जाएगा। जैसे इतना ही काफी नहीं था, जो वित्तमंत्री अंततः 12 और 18 फीसदी की दरों के विलय की संभावना देख रहे हैं।

स्वाभाविक है कि जो आइटम आज 12 फीसदी स्लैब में हैं उन्हें धीरे से 18 फीसदी की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी सुधारों की पूरी लागत ग्राहक को ही वहन करनी है। इस सुधार से जिन दो तबको को लाभ होना है– कॉर्पोरेट जगत और सरकार, वे दोनों बिना कुछ चुकाए बच निकले हैं। आजाद भारत में जीएसटी अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है। इसके लिए 'एक देश–एक टैक्स' का स्लोगन देश की तस्वीर बयां करता है। लोगों को इसमें परेशानियां दिख रही हैं फिर भी वे इसे किसी तरह समझने व समायोजित करने में लगे हैं।

कुछ व्यापारियों व कुछ दूसरे वर्गों में हिचक है, फिर भी कंज्यूमर जीएसटी के साथ चलना सीख रहे हैं। जीएसटी के बाद ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और कंज़्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर सेक्टर से आ रही अच्छी खबरों को थोड़ी बहुत राहत से ज्यादा मान लेना ठीक नहीं होगा। जो कीमतें कम हुई हैं, उसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जीएसटी के कारण सभी चीज़ों में कीमतें कम होंगी। जैसे ही जीएसटी के अनुसार बाजार में कामकाज होने लगेगा, कीमतें फिर बढ़ेंगी। इसके लिए वैश्विक स्तर पर जो अनुभव हुए हैं, उन्हें देखना ठीक रहेगा।

पैट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट, अल्कोहल जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। सरकार के लिए पैट्रोलियम और अल्कोहल टैक्स रेवेन्यू जमा करने का सबसे बड़ा स्रोत हैं, जिसमें सीधा 29 फीसदी अप्रत्यक्ष कर राजस्व के रूप में सरकार को मिलता है। इस तरह सभी तरह के करों से मिलने वाला 41.8 फीसदी रेवेन्यू सरकार को जीएसटी से मिल जाएगा। जीएसटी के 5 स्लैब– 0, 5, 12, 18 और 28 फीसदी दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में 7 स्लैब हैं, उसमें सोने पर 3 फीसदी और अनगढ़ हीरे पर 0.25 फीसदी है। कुछ प्रोडक्ट में सेस लगाया गया है, जो स्लैब की लिमिट से भी ऊपर है। आने वाले दिनों में जैसे ही यह लॉबी सक्रिय होगी, इस तरह के करों की दर और अधिक बढ़ सकती है। ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि यह गंभीर आघात अति लघु और लघु सेक्टर पर प्रहार करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तो यह बताता है कि जीएसटी वास्तव में बड़े बिज़नेस को बाजार पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने में मदद करता है और इस तरह छोटे उद्योग बाजार से बाहर हो जाते हैं। अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला फिर ध्यान दिलाते हैं कि कैसे भ्रष्ट बैंकरों ने पुरानी करंसी की जगह नई करंसी लाकर नोटबंदी को निरर्थक कर दिया। वे खेद जताते हुए कहते हैं कि इसी

जीएसटी के पीछे का आर्थिक तर्क कोई अलग नहीं है। जिस तरह से इसे बनाया गया है उसमें 'जुगाड़' का सारा कौशल दिखता है।

तरह कई बड़ी कंपनियों के लिए सेल्स टैक्स के दो और एक्साइज के एक अधिकारी की बजाय जीएसटी के एक अधिकारी से सेटिंग करना आसान होगा।

वैट लागू करते समय यही कहा गया था। राज्यसभा के तब के सांसद और अब राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद के वैट संबंधी एक प्रश्न पर तब के वित्त राज्यमंत्री एसएस पालानिमनिकम ने कहा था, 'वैट बहुत सरल, पारदर्शी, बहु–चरण वाला टैक्स है, जिसमें टैक्स क्रैडिट का इनपुट है। इससे कई स्तरों पर करारोपण की स्थिति दूर हो जाती है और जिसके कारण कीमतें बढ़ने का जोखिम नहीं रहता।'

रामनाथ कोविंद ने 1 अप्रैल 2005 को वैट लांच होने के एक माह बाद प्रश्न पूछा था। मजे की बात है कि जीएसटी के बारे में पूछे गए प्रश्न पर भी वही उत्तर मिला। जीएसटी के पीछे का आर्थिक तर्क कोई अलग नहीं है। जिस तरह से इसे बनाया गया है उसमें 'जुगाड़' का सारा कौशल दिखता है। मुझे खुशी है कि नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि जीएसटी से देश के जीडीपी के 1–1.5 फीसदी बढ़ने की बात बकवास है। उन्होंने यह भी एकदम साफ कर दिया है कि जीएसटी 6–7 से ज्यादा देशों में लागू नहीं है। ❑❑

(ये लेखक के अपने विचार हैं।) लेख कृषि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद है।

गंभीर संकट में चीन
ऐसे में भारत क्यों बने तारनहार?

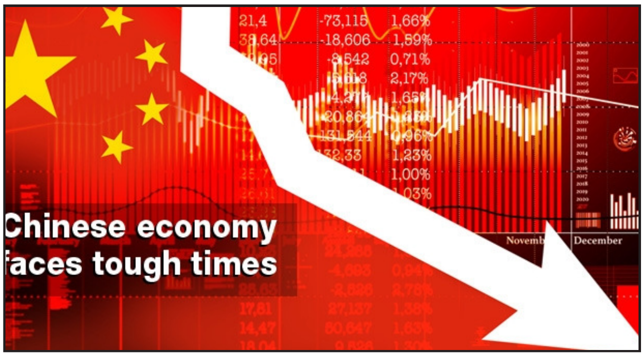

संकट में चीन

भारत के विरूद्ध सर्वाधिक शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त व भारी कर्ज में डूबी चीन की अर्थव्यवस्था, आज तीन दशकों के सर्वाधिक गंभीर संकट में फंसी हुई है। पच्चीस वर्ष बाद इस वर्ष 2017 के लिये चीन ने अपने लिये अब तक की सबसे न्यूनतम आर्थिक वृद्धि दर आंकी है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग ऐजेंसी मूडिज ने भी 28 वर्षों में पहली बार चीन की साख के मूल्यांकन, अर्थात क्रेडिट रेटिंग में कमी की है। चीन में मंदी के कारण हाल ही में अपने यहां पांच लाख नौकरियों में भी कटौती की गयी है। ऐसे में कर्ज व मंदी से जूझते चीन की वस्तुओं को हम भारत में बड़ी मात्रा में व अधिकाधिक खरीदकर, अपने देश में उद्यमबंदी, बेरोजगारी, व्यापार घाटे व बैंकों के ऋणों के डुबते चले जाने जैसे कई संकटों को आमंत्रित करते हुए, मरती हुई चीनी अर्थव्यवस्था को जीवनदान दे रहे हैं। दूसरी ओर चीन विगत 65 वर्षों से सर्वाधिक भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। वस्तुतः चीन से बढ़ रहे आयातों के कारण आज हमारे देश के छोटे–बड़े सभी प्रकार के उद्योग बड़ी संख्या में बंद हुये हैं एवं और भी बंद होते ही जा रहे हैं या मंदी व संकटों में फंस रहे हैं। इससे देश में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुये हैं और होते ही जा रहे हैं। चीनी आयातों से संकटग्रस्त हो रहे उद्योगों में भारी मात्रा में देश के बैंकों के ऋण भी डूब रहे हैं। इसके साथ ही चीन से विदेशी व्यापार में जो भारी घाटा हो रहा हैं, उसके कारण विगत 6 वर्षों में रूपये की कीमत में 35 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आयी है। ऐसा होने पर भी हम भारत के विरूद्ध सर्वाधिक शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त चीन के बड़ी मात्रा में चीनी सामानों को खरीदकर इन संकटों से उबारने हेतु आक्सीजन अर्थात् प्राणवायु की तरह अपना बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे द्वारा आज पेन, मोबाइल फोन व बल्ब आदि से लेकर सौर ऊर्जा पेनल, कम्प्यूटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, फर्नीचर व बस–ट्रक के टायरों तक विविध चीनी उत्पादों को अधिकाधिक खरीदते चले जाने से ही चीनी उद्योग इस मंदी में भी बंद होने से बचे हुये हैं एवं उसी से चीनी अर्थव्यवस्था एक बड़ी सीमा तक चरमराने से बची हुयी है।

हम भारतीय बना रहे हैं चीन को आर्थिक महाशक्तिः हम अपने उद्योगों को चौपट कर चीन जैसे शत्रु देश के ब्राण्डों को विश्व स्तरीय बना रहे हैं। स्मार्ट फोन हमारे ऐसे आत्मघाती कदमों का अच्छा उदाहरण है। देश में आज आधे से अधिक स्मार्ट फोन के ब्राण्ड बिक रहे थे। आज 57 चीनी ब्राण्ड बिक रहे हैं। इनमें कई ब्राण्ड केवल भारत में उनकी तेजी से बढ़ती बिक्री के कारण विश्वस्तरीय बने हैं। अन्यथा कई चीनी ब्राण्ड वैश्विक ब्राण्ड न बन कर चीन में ही सीमित घरेलू ब्राण्ड ही बने रहते। चीन के 4 स्मार्ट फोन ब्राण्डों जिओमी, विवो, ओप्पो व जिओनी की कुल वैश्विक बिक्री की क्रमशः 67 प्रतिशत, 73 प्रतिशत, 48 प्रतिशत व 25 प्रतिशत आज भारत में हो रहे है। जर्मन की जीएफ के ग्लोबल हेण्डसेट अपडेट के मार्च 2017 के बिक्री के ये तथ्य अग्रानुसार है। जिओनी के कुल बाजार की 25 प्रतिशत भारत

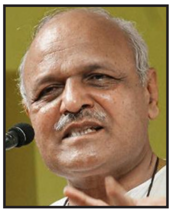

चीन, जो विगत 65 वर्षों से सर्वाधिक भारत विरोधी व शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त है। ऐसे समय में जब हम संकट में फंसी चीन की अर्थव्यवस्था को उसकी वस्तुओं का बहिष्कार करके चौपट कर सकते हैं, तब हम उसी की वस्तुयें खरीदकर उसे आर्थिक जीवनदान क्यों दे रहे हैं।

–प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

में है। वर्ष 2017 में देश में 13 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन बिकेंगे। विश्व के मोबाइल फोन के बाजार में भारत का अंश 15 प्रतिशत से अधिक है।

चीन ब्राण्डों की वैश्विक बिक्री में भारत का योगदान	
चीनी मोबाइल फोन ब्राण्ड	*कुल अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में भारत का योगदान*
विवो	73 प्रतिशत
जियोमी	67 प्रतिशत
ओपो	48 प्रतिशत
जियोनी	25 प्रतिशत

मोबाइल फोन जैसी स्थिति और भी कई उत्पादों में है, जहां आज मंदी में फंसी चीनी अर्थव्यवस्था को भारत उसके उत्पाद आयात कर उसे ऑक्सीजन दे रहा है।

ऋण जाल व मंदी में फंसी चीनी अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण क्यों?

आज हम चीनी वस्तुएं खरीदकर चीन का आर्थिक सशक्तिकरण करके अपने ही देश के लिये जटिल आर्थिक समस्याएं व सामरिक संकट बढ़ा रहे हैं। चीन, जो विगत 65 वर्षों से सर्वाधिक भारत विरोधी व शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त है। ऐसे समय में जब हम संकट में फंसी चीन की अर्थव्यवस्था को उसकी वस्तुओं का बहिष्कार करके चौपट कर सकते हैं, तब हम उसी की वस्तुयें खरीदकर उसे आर्थिक जीवनदान दे रहे हैं। चीन के सार्वजनिक ऋण पर एक दृष्टिपात से ही स्पष्ट हो जायेगा कि आज हम ही भारी कर्ज में डूबे चीन की वस्तुएं खरीदकर ही चीन की अर्थव्यवस्था को संकटों से बचा रहे हैं, जो हमारे लिये ही सबसे बड़ी आर्थिक व सामरिक या रक्षा चुनौती बन जायेगा। ऐसे में यदि हमने वर्तमान मंदी के दौर में चीनी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार कर दिया तो उसके दिवालिया होने की संभावनायें काफी बढ़ जायेंगी। ऐसा हुआ तो भारत की संप्रभुता व सुरक्षा के लिये चुनौती बन रही चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' (ओबोर) परियोजना भी धूल धूसरित हो सकती है। विशेषकर जब अमरीका भी चीन से 347 अरब डालर के घाटे को समाप्त करने को प्रयत्नशील है। चीन, आज जिस प्रकार संपूर्ण विश्व में शांति, मानवाधिकारों की रक्षा, आतंकवाद उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण एवं सामरिक संतुलन लिये गंभीर चुनौती बना हुआ है और आज जब वह स्वयं एक गंभीर आर्थिक व वित्तीय ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है, तब यही अवसर के जब चीनी उत्पादों के बहिष्कार से चीनी अर्थव्यवथा को जमीन पर लाकर विश्व को राहत दिलायें। आज जब अमरीका चीन के साथ उसके व्यापार घाटे पर नियंत्रण करने के लिये गंभीर कदम उठा रहा है। उससे चीनी अर्थव्यस्था के ध्वस्त होने की और भी पर्याप्त संभावना बन जाती है। चीन के विषय पर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पूरी तरह से गंभीर हैं। चीन को अमरीका के निर्यात वर्ष 2016 में मात्र 115.77 अरब डालर के ही थे। वहीं दूसरी और अमरीका में चीनी उत्पादों का निर्यात 462.8 अरब डालर था। इस प्रकार अमरीका के साथ व्यापार में चीन को जो 347 अरब डालर का भारी भरकम अतिरेक (Surplus) मिल रहा है, वही 347 अरब डालर का अमरीका के लिये भारी भरकम व्यापार घाटा है। अब जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस अमरीकी घाटे को समाप्त करने का संकल्प कर लिया है तो चीन के लिये अपने उद्योगों को पूरी क्षमता से चलाये रखना कठिन हो जायेगा। इससे चीन के लिये अपने विदेशी मुद्रा भण्डारों का स्तर भी बनाये रखना कठिन हो जाएगा। चीन के विदेशी मुद्रा भण्डारों में कमी होनी तो प्रारंभ हो ही गयी है। जून 2014 में उसके पास 3,993 अरब डालर के विदेशी मुद्रा भण्डार थे, जो जनवरी 2017 में 12.3 अरब डालर से घटकर लगभग 3,980 अरब डालर पहुंच गया है।

चीन में सार्वजनिक ऋण बढ़ने का प्रमुख कारण यही है कि अब तक

आज जब अमरीका चीन के साथ उसके व्यापार घाटे पर नियंत्रण करने के लिये गंभीर कदम उठा रहा है। उससे चीनी अर्थव्यस्था के ध्वस्त होने की और भी पर्याप्त संभावना बन जाती है।

चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक विस्तार से कर्ज बांट कर अपनी जीडीपी को तो बढ़ा लिया। लेकिन उसका कर्ज भयावह रूप से बढ़ गया है। चीन के कर्ज के अधिकारिक आंकड़े तो उसके सकल घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत तक का कर्ज बता रहे है। कर्ज का यह स्तर भी अत्यंत विस्फोटक सिद्ध हो सकता है। लेकिन चीन के नियमनरहित, कुख्यात छाया बैकिंग तंत्र के ऋणों को भी इसमें जोड़ लेने पर चीनी अर्थव्यस्था में कुल ऋणों का अनुपात उसके सकल घरेलू उत्पाद के 400 प्रतिशत तक के अति विस्फोटक स्तर तक पहुंच जाते हैं। सामान्यतया उसके अधिकारिक आंकड़ों में इन्हें नहीं जोड़कर 28 खरब डालर के ऋणों को ही दर्शाया जाता है जिससे भी उसका ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 250 प्रतिशत हो जाता है। वस्तुतः 2001 में उसका जीडीपी 1094 अरब डालर था। जो 2016 के अंत तक 11,750 अरब डॉलर तक पहुंचकर 11 गुणा हो गया। लेकिन उसके वित्तीय तंत्र में ऋण की राशि जो 2001 में उसके सकल घरेलू उत्पाद के तुल्य ही थी, वह 40 गुनी हो गयी। इस तथ्य को मार्केट वॉच डॉट कॉम (marketwatch.com) में इवान मार्टचेव ने अपने 20 फरवरी 2017 के लेख में स्पष्ट किया है।

अब जब चीनी अर्थव्यवस्था मंदी व ऋण जाल में फंसी हुई है। ऐसे में यदि अमरीका चीन के साथ 347 अरब

डालर के उसके व्यापार घाटे को शून्य पर ले आता है और हम भारतीय नागरिक भी चीनी वस्तुओं को खरीदना बंद करके अपने 52 अरब डालर के व्यापार घाटे को शून्य कर लेते हैं तो चीनी अर्थव्यवस्था का जमीन पर आना अवश्यम्भावी है। इससे संपूर्ण विश्व राहत की सांस लेगा। चीन पर चढ़े कर्ज व वहां फैलती मंदी को देखते हुये तो वर्ष 2008 में हुये अमरीकी मेल्ट डाउन से भी अधिक भयावह मेल्ट डाउन जैसा आर्थिक संकट वहां मुंह बाये उसे निगलने को खड़ा है। आज चीनी कंपनियां 180 खरब डालर अर्थात 18 ट्रिलियन डालर (12060 खरब अर्थात 1206 लाख करोड़ रूपये तुल्य) कर्ज में डूबी हुयीं हैं। यह कॉर्पोरेट ऋणों की राशि उनके सकल घरेलू उत्पाद की 170 प्रतिशत है। पूरी चीनी अर्थव्यवस्था आज 280 खरब (आस्ट्रेलियन) डालर अर्थात उसके घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत ऋण के बोझ तले चरमराने को है। इन भारी ऋणों के बोझ से दबी कंपनियों के साथ ही चीन के सारे बैंकों सहित उसका मुद्रातंत्र, उद्योग व वाणिज्य सब कुछ डूब सकता है। यदि भारत व अमरीकी चीन से अपने आयात कम कर ले और अगले एक वर्ष चीनी उत्पादों की बिक्री घटती रही तो यह होना ही है। लेकिन, यदि हम जो चीनी वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें खरीदना हमने जारी रखा और चीनी उद्यम बच गए तो चीनी अर्थव्यवस्था इस पूरे संकट से अत्यंत सहजता से पार पा जायेगी। थोड़ा समय और चीनी माल पर्याप्त मात्रा में बिकता ही रहा तो, चीन इस संकट से सहजता से उबर जायेगा। हमारा बाजार ही आज चीन के लिये प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन का काम कर रहा है। वैसे चीन ने अब इस पूरे संकट से पार पाने की योजना की घोषणा भी 10 अक्टूबर 2016 को कर दी थी।

अपनी कंपनियों को ऋणों से राहत देने की इस नवीन योजना के अधीन

हमने चीनी माल खरीदते रहकर उसे बचा लिया तो अब 'वन बेल्ट वन रोड़' परियोजना पूरी हो जाने के बाद तो चीन महाशक्तिशाली देश बन जायेगा।

चीन उसकी केवल कुछ बहुत ही अकुशल कंपनियों को छोड़कर अपनी शेष सभी कुशल कंपनियों, जिनके उत्पाद विश्व भर में बिकते हैं, के ऋणों को पूंजी में बदल देगा। कंपनी को ऋण पर ब्याज चुकाना होता है और किश्त भी प्रतिमाह चुकानी होती है। लेकिन इस नवीन प्रस्ताव के अनुरूप उस ऋण को पूंजी में बदलते ही (debt-equity swap) कंपनी पर से किश्त व ब्याज के भुगतान का दायित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे में आज की मंदी में भी वह कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाने पर भी जीवित रह सकती है, क्योंकि उसे अब न तो किश्त चुकानी है और न ही ब्याज। लेकिन यदि तब भी उसकी बिक्री ही नहीं हुयी तो उसे (कंपनी को) बंद होना ही है। यदि चीनी माल का हमने पूर्ण बहिष्कार कर दिया और विश्व में भी हमने चीन की पर्यावरणक्षरण, मानवाधिकार हनन, आतंकवाद का संपोषण एवं विश्व शांति के संबंध में खड़ी की जा रही चुनौतियों का स्मरण कराकर सोशल मीडिया पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवाहन करें तो अधिकांश चीनी कंपनियां बंद होनी ही है। ऋण को पूंजी में बदलने के बाद भी बंद होगी। ऐसे में चीन के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 170 प्रतिशत तक पहुंच चुके कंपनी ऋणों का दो तिहाई अर्थात उसके सकल घरेलू उत्पाद तुल्य 120 खरब डालर ($12 Trillion) का डूबना तो निश्चित ही है। चीन में कुल बकाया ऋणों की राशि तो आज 280 खरब डालर अर्थात $ 28 Trillion अर्थात उसके सकल घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। यह राशि अमरीका व जापान के संयुक्त वाणिज्यिक बैंकिंग तंत्र के तुल्य है। यदि वर्तमान में चीन ने अपनी कंपनी ऋणों की पुनर्रचना जिसमें ऋणों को पूंजी में परिवर्तन भी सम्मिलित है, के सहारे अपने बैंकिंग तंत्र व बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के उत्पादन तंत्र को बचा लिया तो वह 3–5 वर्ष में अमरीकी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ विश्व की क्रमांक एक की आर्थिक शक्ति व सामरिक शक्ति बनकर खड़ा होगा।

दूसरी ओर अभी जब चीन की अधिकांश कंपनियां व संपूर्ण बैकिंग तंत्र चरमराने को है। उसके कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तक में गतिरोध के अनुमान लगाये जा रहे हैं। ऐसे में यदि हम चीनी वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे व विश्व में भी ऐसा ही आवाहन करें तो उसका उत्पादन तंत्र व बैंकिंग तंत्र ध्वस्त होगा, निर्यात घटेंगे, विदेशी व्यापार में घाटा भी होगा, विदेशी मुद्रा भण्डार चुक जायेंगे और चीन के अर्थव्यवस्था के दिवालिया होते ही विश्व चैन की सांस लेगा। भारत का निकट पड़ोसी व उसके साथ गंभीर सीमा विवाद होने व उसकी पाक से मैत्री होने से चीन का सबल होना भारत के लिये सर्वाधिक संकटकारक होगा। चीन बचेगा तो बड़ी सीमा तक भारत के बाजार से बचेगा। हमने चीनी माल खरीदते रहकर उसे बचा लिया तो अब 'वन बेल्ट वन रोड़' परियोजना पूरी हो जाने के बाद तो चीन महाशक्तिशाली देश बन जायेगा। लेकिन 1400 अरब डालर लागत की यह योजना धूल धूसरित हो जायेगी, यदि भारत चीनी माल को क्रय करना छोड़ दे तथा अमरीका भी अपना चीन से व्यापार घाटा समाप्त कर लें।

शेष अगले अंक में ....

जीएम फसलें: पर्यावरण के लिए खतरनाक

जीएम फसलें जैव विविधता, मित्र कीट–पतंगों, जीव–जंतुओं आदि के लिए व्यापक स्तर पर ऐसे खतरे उपस्थित कर सकती हैं व नई तरह की बीमारियों, वायरस आदि के खतरे उपस्थित कर सकती हैं जो मानव निर्मित हैं, पर एक बार यह खतरे उत्पन्न होने के बाद मनुष्य के लिए उन्हें नियंत्रित करना बहुत कठिन है या असंभव है।

– **भारत डोगरा**

जहां एक ओर जीएम फसलों को फैलाने में लगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रचार–प्रसार में करोड़ों डालर झोंक रही हैं वहां विश्व के विख्यात पर्यावरणविद व पर्यावरण रक्षा से जुड़े संगठन इस ओर ध्यान दिलाने में जुटे हैं कि जीएम फसलें पर्यावरण की कैसी गंभीर क्षति का कारण बन सकती हैं। पर्यावरण के व्यापक विनाश की संभावना मूलतः जेनेटिक इंजीनियरिंग के कृषि में उपयोग की मूल सोच में ही निहित है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रचार कई बार इस तरह किया जाता है कि किसी विशिष्ट गुण वाले जीन का ठीक–ठीक पता लगा लिया है व इसे दूसरे जीव में पंहुचाकर उसमें वही गुण उत्पन्न किया जा सकता है। किन्तु हकीकत इससे अलग व कहीं अधिक पेचीदी है।

कोई भी जीन केवल अपने स्तर पर या अलग से कार्य नहीं करता है अपितु बहुत से जीनों के एक जटिल समूह के एक हिस्से के रूप में कार्य करता है। इन असंख्य अन्य जीनों से मिलकर व उनसे निर्भरता में ही जीन के कार्य को देखना–समझना चाहिए, अलगाव में नहीं। एक ही जीन का अलग–अलग जीव में काफी भिन्न असर होगा, क्योंकि उनमें जो अन्य जीन हैं वे भिन्न हैं। विशेषकर जब एक जीव के जीन को काफी अलग तरह के जीव में पंहुचाया जाए तो, जैसे मनुष्य के जीन को सूअर में, तो इसके काफी नए व अप्रत्याशित परिणाम होने की संभावना है।

इतना ही नहीं, जीनों के समूह का किसी जीव की अन्य शारीरिक रचना व बाहरी पर्यावरण से भी संबंध है। जिन जीवों में वैज्ञानिक विशेष जीन पंहुचाना चाह रहे हैं, उनसे अलग जीवों में भी इन जीनों के पहुंचने की संभावना रहती है जिसके अनेक अप्रत्याशित परिणाम व खतरे हो सकते हैं। बाहरी पर्यावरण जीन के असर को बदल सकता है व जीन बाहरी पर्यावरण को इस तरह प्रभावित कर सकता है जिसकी संभावना जेनेटिक इंजीनियरिंग

का उपयोग करने वालों को नहीं थी। एक जीव के जीन दूसरे जीव में पंहुचाने के लिए वैज्ञानिक जिन तरीकों का उपयोग करते हैं उनसे अप्रत्याशित परिणामों व खतरों की संभावना और बढ़ जाती है।

'जीव विज्ञान की नई परिभाषा' पर मलेशिया में हुई एक बहुचर्चित सभा में अनेक विख्यात जैव वैज्ञानिकों, कृषि वैज्ञानिकों व पर्यावरणविदों ने एक दस्तावेज जारी किया जिसमें कहा गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न कुछ असफल फसलें हानिकारक खरपतवार बन सकती है या उनके माध्यम से ऐसे जीन जंगली पौधों में पहुंच सकते हैं जो उन्हें हानिकारक खरपतवार बना दें। जहां इस तकनीक से हानिकारक कीड़ों की रोकथाम के उपाय का दावा किया जा रहा है वहां इससे नए हानिकारक कीटों के प्रकोप की तथा बीमारियों की संभावना भी उत्पन्न हो रही है। किसानों की विविध फसलों की किस्मों व जंगली पौधों को विस्थापित कर ये नई तकनीक की फसलें जैव विविधता का ह्रास भी कर सकती हैं।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के अधिकांश महत्वपूर्ण उत्पादों के पेटेंट बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास हैं तथा वे अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए इस तकनीक का जैसा उपयोग करती हैं, उससे इस तकनीक के खतरे और बढ़ जाते हैं। उनका एक विशेष प्रयास ऐसे बीज बनाने और बेचने का रहता है जिसके साथ उनके अपने बनाए खरपतवार नाशकों का उपयोग जुड़ा होता है। साथ ही वे प्रायः इन बीजों की अगले वर्ष के उपयोग पर पाबंदी लगा देते हैं। इतना ही नहीं 'टर्मीनेटर' नाम से प्रचलित ऐसा बीज बनाने का भी प्रयास हुआ है जो अगले साल उग ही न सके। हर साल बीज व रसायन के लिए किसान किसी कंपनी पर निर्भर हो जाए, ऐसे प्रयास हो रहे हैं।

बीज ऐसा बनाया जा रहा है

वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु जेनेटिक प्रदूषण हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है।

जिसमें किसी विशेष खरपतवारनाशक को सहने की विशेष क्षमता हो। इस स्थिति में खरपतवारनाशक का उपयोग अधिक होगा जिससे आस–पास के अनेक उपयोगी पौधे, केंचुए आदि भी मारे जाएंगे।

इन फसलों से जुड़े खतरे का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष कई वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जो खतरे पर्यावरण में फैलेंगे उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जायेगा एवं बहुत दुष्परिणाम सामने आने पर भी हम इनकी क्षतिपूर्त्ति नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है। वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर जेनेटिक प्रदूषण जो पर्यावरण में चला गया वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है।

जानी–मानी बायोकेमिस्ट व पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर सूसन बारडोक्ज ने कहा है, "अब तक की सब तकनीकें ऐसी थीं जो नियंत्रित हो सकती थीं, परंतु मानव इतिहास में जीएम पहली तकनीक है जिससे खतरा उत्पन्न हो गया हो तो इस क्षति को रोका नहीं जा सकता है, क्षतिपूर्त्ति नहीं हो सकती है। जब एक जीएम आरगनिज्म या जीएमओ को रिलीज कर दिया जाता है तो वह नियंत्रण से बाहर हो जाता है, हमारे पास उसे लौटा लाने का कोई उपाय नहीं है।.... इसके मनुष्य व अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं।"

यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जीएम फसलों का थोड़ा बहुत प्रसार व परीक्षण भी बहुत घातक हो सकता है। मूल मुद्दा यह है कि इनसे जो सामान्य फसलें हैं वे भी कांटैमिनेट हो सकती हैं या प्रदूषित हो सकती हैं। यह जेनेटिक प्रदूषण बहुत तेजी से फैल सकता है व इस कारण जो क्षति होगी उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। यदि एक बार जेनेटिक प्रदूषण फैल गया तो दुनिया भर में अच्छी गुणवत्ता व सुरक्षित खाद्यों का जो बाजार है, जिसमें फसलों की बेहतर कीमत मिलती है, वह हमसे छिन जाएगा। आने वाले समय के लक्षण अभी से दिख रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जागरुक लोग दुनिया भर में रासायनिक व जेनेटिक प्रदूषण से मुक्त खाद्यों के लिए बेहतर कीमत देने को तैयार होंगे पर यदि जेनेटिक प्रदूषण को न रोका गया तो किसानों का यह बाजार उनसे छिन जाएगा व वैसे भी खेती की बहुत क्षति होगी।

जीएम फसलें जैव विविधता, मित्र कीट–पतंगों, जीव–जंतुओं आदि के लिए व्यापक स्तर पर ऐसे खतरे उपस्थित कर सकती हैं व नई तरह की बीमारियों, वायरस आदि के खतरे उपस्थित कर सकती हैं जो मानव निर्मित हैं, पर एक बार यह खतरे उत्पन्न होने के बाद मनुष्य के लिए उन्हें नियंत्रित करना बहुत कठिन है या असंभव है। जीएम फसलों के अनेक अनचाहे लक्षण या अवगुण (जैसे टर्मिनेटर तकनीक से जुड़ी नफसंकता) अनेक सामान्य फसलों व पौधों में भी जेनेटिक प्रदूषण से फैल सकती हैं।

जीएम फसलों के बारे में एक दावा यह किया गया है कि इनसे रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में कमी आयेगी, पर यह दावा सच नहीं है एवं अनेक स्थानों पर तो रासायनिक कीटनाशकों या खरपतवार के उपयोग में वृद्धि हो गई। ❑❑

आर्थिक वृद्धि दरः कितनी सच-कितना भ्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था तीन वर्ष पूर्व 2014 की अंतिम तिमाही में चीन को क्रमांक 2 पर धकेलकर, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में वृद्धि दर के आधार पर विश्व की सर्वाधिक द्रुत गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गयी थी। लेकिन, आज वर्ष 2016–17 की अंतिम तिमाही में इसकी वार्षिक वृद्धि दर घटकर 6.1 प्रतिशत ही रह जाने से आर्थिक वृद्धि दर के आधार पर, भारत पुनः क्रमांक 2 पर आ गया है। जनवरी–मार्च 2017 की इस अवधि में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की वृद्धि दर में आयी गिरावट की तुलना में भी हमारी वास्तविक आर्थिक प्रगति अर्थात 'सकल मूल्य योगदान' (ग्रोस वेल्यू एडेड अर्थात जीवीए) में अधिक द्रुत गति से गिरावट आयी है। वस्तुतः, सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के आधार पर संकलित आर्थिक वृद्धि दर में से अप्रत्यक्ष करों को घटा देने से अर्थव्यवस्था में हुयी वास्तविक आर्थिक प्रगति अर्थात 'सकल मूल्य योगदान' (जीवीए) प्राप्त होता है। चूंकि, अप्रत्यक्ष कर अर्थात उत्पाद शुल्क किसी प्रकार के उत्पादन में वृद्धि या आर्थिक प्रगति को नहीं दर्शाता हैं। इसलिये, सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पाद शुल्क अर्थात् एक्साइज ड्युटी घटाकर पुनः अनुदान वापस जोड़ देने से प्राप्त जीवीए को ही आर्थिक प्रगति का सही द्योतक कहा जा सकता है। यही सकल मूल्य योगदान अर्थात् जीवीए ही अर्थव्यवस्था में संपादित आर्थिक गतिविधियों का वास्तविक प्रमाप होता है। यह 'सकल मूल्य योगदान' जनवरी–मार्च 2017 की अवधि में तो घटकर मात्र 5.6 प्रतिशत ही रह गया है, जो एक वर्ष पूर्व 8.7 प्रतिशत था। वस्तुतः पिछले वर्ष उत्पाद शुल्क में प्राप्तियों में हुयी 33 प्रतिशत की वृद्धि के कारण ही जीडीपी की वृद्धि वास्तविक से उत्पादन वृद्धि अधिक दिखलायी दे रही है, जबकि वास्तविक आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत न्यून रही है। तेल की कीमतों में गिरावट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाते जाने का भी इसमें काफी प्रभाव है। वैसे सरकार ने यह विश्वास दिलाने का भी पूरा प्रयास किया है कि वह वर्ष 2017–18 में आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाकर वह प्रथम स्थान पुनः प्राप्त कर लेगी। तदनुरूप आर्थिक सर्वेक्षण में भी 2017–18 में आर्थिक वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत वृद्धि कर लेने की अपेक्षा व्यक्त की गयी थी। लेकिन विश्व बैंक व कुछ अन्य बाहरी अभिकृतियाँ वर्ष 2017–18 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत वृद्धि दर का ही आकलन कर रही है। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से करानुपालना बेहतर होने से यह वृद्धि 7.5 प्रतिशत से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन, हाल में तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में गिरावट का यह दौर नवीन वृद्धि में भी जारी है।

विश्व बैंक व कुछ अन्य बाहरी एजेसियां वर्ष 2017–18 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत वद्धि दर का ही आकलन कर रही है। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से करानुपालन बेहतर होने से यह वद्धि 7.5 प्रतिशत से ऊपर भी जा सकती है।

– जया शर्मा, कृति शर्मा व पुनीत शर्मा

इस नवीन वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम माह अर्थात अप्रैल 2017 में तो, आठ आधारभूत उद्योगों की वृद्धि दर घटकर मात्र 2.5 प्रतिशत ही रह गयी है, जिनकी अप्रैल 2016 में वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत थी। इन उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार

कोयला, कच्चा तेल तथा सीमेंट उत्पादन में क्रमशः 3.8 प्रतिशत, 0.6 प्रतिशत तथा 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। इन आठ प्रमुख क्षेत्रों में धीमी वृद्धि दर से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कुल औद्योगिक उत्पादन में इन क्षेत्रों का योगदान करीब 41 प्रतिशत है। समुचित रिफाइनरी उत्पाद तथा बिजली उत्पादन की वृद्धि दर अप्रैल में कम होकर क्रमशः 0.2 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत रही जो पिछले साल इसी माह में क्रमशः 19.1 प्रतिशत तथा 14.5 प्रतिशत थी। वैसे प्राकृतिक गैस, उर्वरक और इस्पात क्षेत्र में क्रमशः 2 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत तथा 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

क्या हमारी आर्थिक वृद्धि दर वास्तविक आर्थिक प्रगति की द्योतक है?

आर्थिक सुधारों के बाद कई निःशुल्क सेवाओं के निजीकरण के बाद, उन सेवाओं के कारोबार के कारण हमारे 'सकल मूल्य योगदान' में जो वृद्धि हुयी है, उसे निकाल दें तो हमारी आर्थिक प्रगति दर काफी नीचे आ सकती है। चूंकि सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुयें व सेवाएँ दोनों ही समाविष्ट हैं और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 62 प्रतिशत योगदान सेवाओं का है। इसके अतिरिक्त हमारे सकल मूल्य योगदान (जीवीए) में तो सेवाओं का अंश 66 प्रतिशत है। इस वर्ष 2016–17 में भी सेवाओं की वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत रहने का आकलन है जो 2015–16 में 10 प्रतिशत थी। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में पूर्व की कई निःशुल्क सेवाओं को लागत आधारित या लागत + लाभ आधारित कर दिये जाने के बाद अब उन सेवाओं की द्रुत वृद्धि दर ही योगक्षेम अथवा जनहित या लोक कल्याण में समुचित वृद्धि की द्योतक होने के स्थान पर वह कृत्रिमता की द्योतक ही कही जा सकती हैं। यथा विगत दो दशकों में शिक्षा, चिकित्सा आदि कई सेवाएँ निःशुल्क या नाममात्र के शुल्क पर सुलभ थी। वे आज अत्यंत मंहगी दर पर उपलब्ध हो रही हैं। लोग इन सेवाओं का सार्वजनिक क्षेत्र से निशुल्क ही उपयोग करते थे। यथा, सभी विश्वविद्यालय व अधिकांश चिकित्सालय शासकीय ही हुआ करते थे। विद्यालय व महाविद्यालय भी या तो शासकीय होते थे या शासकीय अनुदान पर संचालित होते थे। आज उदारीकरण के अंतर्गत इन सेवाओं का शासकीय क्षेत्र में विस्तार करने या उनकी गुणवत्ता में समायोचित सुधार व उन्नयन के स्थान पर, इन्हें बिना अनुदान लागत आधारित या लागत + लाभ आधारित कर इनमें सारा विस्तार, गैर सरकारी क्षेत्र में ही किये जाने पर बल दिया जा रहा है। आज विद्यालयीन शिक्षा में 60 प्रतिशत व उच्च शिक्षा में 52 प्रतिशत से अधिक छात्र गैर अनुदानित, निजी क्षेत्र के विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में लागत आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

विगत दो दशकों में शिक्षा, चिकित्सा आदि कई सेवाएं निःशुल्क या नाममात्र के शुल्क पर सुलभ थी। वे आज अत्यंत मंहगी दर पर उपलब्ध हो रही हैं। लोग इन सेवाओं का सार्वजनिक क्षेत्र से निशुल्क ही उपयोग करते थे।

दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वोक्षण–3 के अनुसार आज गाँवों में 70 प्रतिशत व नगरीय क्षेत्र में 63 प्रतिशत परिवार ऊँची लागत पर, निजी क्षेत्र में ही अपनी चिकित्सा करवाने के लिये बाध्य हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की समुचितता व गुणवत्ता में अभाव के चलते, सामान्य परिवार मध्यम वर्गीय ही नहीं निम्न आय वर्गीय परिवार भी निजी क्षेत्र में ही चिकित्सा करवाते हैं। इसी सर्वेक्षण के अनुसार, निजी क्षेत्र में चिकित्सा करवाने वाले परिवारों का इन महंगी चिकित्सा सेवाओं का विकल्प चुनने का प्रमुख कारण शासकीय चिकित्सालयों की सेवाओं का अत्यधिक असंतोषप्रद होना है। देश की तीन चौथाई जनसंख्या जो आज कृषि (56 प्रतिशत) व उद्योगों (20 प्रतिशत) पर अवलम्बित है, उन अर्थव्यवस्थाओं के मौलिक क्षेत्रों की प्रगतिदर अत्यंत न्यून है। ये नवीन सेवाएं जो उदारीकरण के बाद लागत आधारित या लागत + लाभ आधारित हुयी है, उनके 15–20 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ता कारोबार आज हमारी आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ा हुआ दिखा रहा है।

अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में गतिह्रास

देश में उत्पादक या विनिर्माणी उद्योगों (मेन्यूफेक्चरिंग उद्योगों) के क्षेत्र में तो हम विगत 25 वर्षों में आयातों व विदेशी निवेश पर ही अवलम्बित होकर पिछड़ते ही जा रहे हैं। आज देश के स्मार्टफोन के आधे से ऊपर बाजार पर व सोलर पेनल में 80 प्रतिशत से भी अधिक बाजार अंश पर चीन का वर्चस्व हो गया है। स्मार्टफोन में स्थानीय मूल्य योगदान मात्र 6 प्रतिशत है, उनके उत्पादन में 94 प्रतिशत लागत के कार्य या मूल्य योगदान विदेश आधारित है। देश में बस व ट्रक के टायरों का आधा बाजार भी आज चीन के ही हाथ में जाने को है। वर्ष 2013–14 में चीन से प्रति माह 40,000 टायर आ रहे थे। आज प्रतिमाह बस व ट्रक के 1,40,000 रेडियल टायर आ रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में टायर उद्यमियों ने जो देश में 40–50 हजार करोड़ का नवीन निवेश किया था, वह भी आज संकट में पड़ रहा है। देश के बैंकों की बढ़ती अनिष्पादनीय आस्तियों (नान–परफोर्मिंग एसेट्स या

एनपीए) का भी प्रमुख कारण कदाचित उद्यमी की बेईमानी न होकर चीनी व अन्य विदेशी कंपनियों की सस्ती डम्पिंग है। यही कारण है कि आज विश्व के सकल विनिर्माणी उत्पादन अर्थात् वर्ल्ड मेन्युफेक्चरिंग में चीन का अंश 22 प्रतिशत है। वहीं भारत का अंश मात्र 2.1 प्रतिशत ही है। इस 2.1 प्रतिशत में भी दो तिहाई योगदान विदेशी कंपनियों का है। इस प्रकार हमारे घरेलू निवेश आधारित विनिर्मार्णी उत्पादक (मेन्यूफेक्चरिंग) का एकल वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग में योगदान मात्र 0.7 प्रतिशत रह जाता है। दूसरी ओर वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन अर्थात वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग में चीन ने अमरीका तक को 17.2 प्रतिशत अंश के साथ दूसरे स्थान पर ढकेल दिया है। अब वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन में अमरीका का अंश चीन के 22 प्रतिशत के सामने 17.6 प्रतिशत रह जाने से ही आज अमरीका चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। विश्व में जहाज निर्माण (शिप बिल्डिंग) में तो भारत का अंश 0.1 प्रतिशत से भी स्वल्प है। चीन व दक्षिण कोरिया में से प्रत्येक का अंश 25 से 30 प्रतिशत के आस–पास रहता है। हम विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या है और चौथे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश हैं। जहाज निर्माण हेतु कटिंग–वेल्डिंग आदि हेतु आवश्यक जनशक्ति के साथ ही देश के पास 6100 किमी लम्बा समुद्र तट भी है। इसलिये इन सारी अनुकूलताओं के बाद भी हम जब तक मेरिटाइम इंजिनीयरिंग का उन्नयन कर उस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक इस उद्योग का अपेक्षित विकास नहीं कर पायेंगे। केवल स्किलिंग व स्टार्ट अप्स से इस स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं होगा। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें 'मेड बाई भारत' उत्पादों व ब्राण्डों का विकास कर उन्हें बढ़ावा देना होगा। केवल विदेशी निवेशकों को अपनी एसेम्बली लाइन चलवा देने योग्य स्किल धारकों के विकास से काम नहीं चल सकता या घरों पर पिजा डिलीवर करने, सब्जी पहुँचा देने या घर–घर दवा डिलीवर कर देने वाले ई–स्टार्ट अप्स से देश में प्रौद्योगिकी व मौलिक उत्पादों का विकास नहीं कर पायेंगे।

देश में प्रतिवर्ष 10 लाख युवा वयस्क होकर रोजगार पाने की आयु में आ रहे हैं। इस हेतु देश में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ युवाओं के लिये रोजगारोत्पादक निवेश और वह भी विनिर्माणी (मेन्यूफेक्चरिंग) उद्योगों में आवश्यक है। इसमें भी विदेशी निवेश पर पराश्रित होने के स्थान पर स्वदेशी निवेश के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करना होगा। अन्यथा विदेशी निवेशक तो अपने हिस्से पुर्जे बाहर से लाकर अपने उत्पादों को अधिकांशतः ऐसेम्बल मात्र ही करते देखे जाते हैं। अतएवं 2016–17 की इस अंतिम तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में आयी गिरावट और अप्रैल'17 में आधारभूत उद्योगों के उत्पादन में आयी गिरावट के साथ–साथ, विनिर्माणी उत्पादन में भारत का अंश मात्र 2.1 प्रतिशत ही रह जाने पर अत्यन्त गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

देश में प्रतिवर्ष 10 लाख युवा वयस्क होकर रोजगार पाने की आयु में आ रहे हैं। इस हेतु देश में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ युवाओं के लिये रोजगारोत्पादक निवेश और वह भी विनिर्माणी (मेन्यूफेक्चरिंग) उद्योगों में आवश्यक है।

नव सृजित सेवाओं से द्रुत आर्थिक वृद्धि का भ्रम

वस्तुतः हमारी कथित् वर्तमान उच्च आर्थिक वृद्धि दर जो एक बड़ी सीमा तक मौलिक या वास्तविक आर्थिक गतिविधियों अर्थात उत्पादक उद्योगों में मूल्य संवर्द्धन के स्थान पर, पूर्व में निशुल्क रही सेवाओं के अब लागत या लागत + लाभ आधारित होने से उन सेवा प्रदाताओं के कारोबार (टर्न ओवर) के योग से बढ़ी हुयी दिखलायी दे रहीं हैं। उससे काम चलने वाला नहीं है। वस्तुतः, उपरोक्त विवेचनों के अनुसार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवाएं जो दो दशक पूर्व निःशुल्क या नाममात्र से भी स्वल्प शुल्क पर सुलभ थी। उन सेवाओं के वार्षिक कारोबार (टर्न ओवर) के योग से हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो द्रुत वृद्धि दिखायी दे रही है। उसका भ्रम टूटना भी आवश्यक है। अन्यथा यदि हमारी पारंपरिक उत्पादन गतिविधियों में से इन महंगी एवं नवीन सेवाओं के प्रभाव को घटा दिया जाये तो हमारी आर्थिक वृद्धि दर में और भी भारी गतिह्रास आयेगा। महंगी चिकित्सा सेवाओं से प्रत्युत्पन्न स्वास्थ्य बीमा का कारोबार भी आज 30 हजार करोड़ रूपये (4.6 अरब डालर) पर पहुंच गया है। हमारे कृषि व उद्योगों की वार्षिक वृद्धि दर सकल मूल्य योगदान के आधार पर 4 प्रतिशत के बीच ही है। दूसरी इन सेवाओं (शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य बीमा आदि सेवाओं) की वार्षिक वृद्धि दर 15–20 प्रतिशत वार्षिक होने से ये व अन्य सेवाएं ही हमारी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि व सकल मूल्य योगदान वृद्धि दरों को बढ़ा दे रही हैं। लेकिन, तब हमें अपनी आर्थिक वृद्धि दरों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करते समय यह दृष्टिगत रखना चाहिये कि आस्ट्रिया, इग्लैण्ड, स्विटजरलैण्ड आदि लगभग 26 देशों में आज चिकित्सा निःशुल्क है और जर्मनी, ब्राजील, उरूग्वे, स्काटलैण्ड आदि कई देशों में शिक्षा शिक्षण शुल्क से मुक्त है। अतएवं, हमें देश में आर्थिक प्रगति का ठीक से आकलन करने हेतु अपनी आर्थिक वृद्धि दरों की कृषि,

उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्र में अलग–अलग समीक्षा करनी चाहिये। कृषि पर आज हमारी 50–56 प्रतिशत जनसंख्या अवलम्बित है। कृषि की हमारी वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत के बीच रहती है। इस प्रकार देश की 50–56 प्रतिशत जनता के लिये वृद्धि दर तो 1.4–4.5 प्रतिशत के बीच ही है। अमरीका में मात्र 2 प्रतिशत जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर है। इसलिये वहां कृषि की उपेक्षा की जा सकती है। वहां अधिकांश (76 प्रतिशत) रोजगार सेवा क्षेत्र में है। दूसरी ओर आज हमारे देश में सेवाओं के क्षेत्र पर 25 प्रतिशत जनसंख्या ही निर्भर है। तीन चौथाई जनसंख्या कृषि व उद्योगों पर निर्भर होने से उनके लिये तो जीवीए आधारित आर्थिक वृद्धि दर 2–4 प्रतिशत ही रह जाती है। अतएवं आर्थिक प्रगति को सही परिप्रेक्ष में समझने हेतु हमें आर्थिक वैश्वीकरण की भ्रामक चकाचौंध से अलग कर कृषि व विनिर्माणी (मेन्यूफेक्चरिंग) क्षेत्र में वास्तविक सकल मूल्य योगदान के आधार पर मूल्यांकन करना होगा।

कृषि व उद्योगों में व्यापक रोजगारोत्पादक निवेश की आवश्यकता

आर्थिक क्षेत्र में देश की आज सर्वोच्च आवश्यकता, प्रतिवर्ष वयस्क होकर रोजगार पाने की आयु प्राप्त कर रहे 1.2 करोड़ युवाओं को उद्योग या वास्तविक उत्पादन के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सुलभ कराने योग्य निवेश का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। सेवाएं आज सकल घरेलू उत्पाद में 62 प्रतिशत व सकल मूल्य संवर्धन में 67 प्रतिशत योगदान भले ही कर रहीं है, लेकिन फिर भी उनमें आज हमारी मात्र एक चौथाई से भी कम जनसंख्या स्थायी रूप से नियोजित है। अतएवं तीन चौथाई से अधिक जनसंख्या व गरीबी रेखा से नीचे जी रही जनसंख्या के योगक्षेम के लिये तो हमें कृषि व उद्यागों में निवेश बढ़ाकर रोजगार का बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा। इस हेतु आज उच्च ब्याज दरों में कटौति व विनिर्माणी उत्पादन (मेन्यूफेक्चरिंग) के क्षेत्र में निवेश में आ रही बाधाओं को दूर करने के साथ ही विद्यमान उद्यमों के संरक्षण हेतु भी नीतिगत हस्तक्षेप करना आवश्यक है। पिछले वर्ष में ही एस्सार सहित 1.5 लाख करोड़ रूपये मूल्य के विविध उत्पादक उद्यम बिककर विदेशी निवेशकों के नियंत्रण में गये हैं। देश में बढ़ते आयातों व विदेशों में भी हमारे उत्पादों के स्पर्द्धा–सक्षम नहीं रह जाने के कारण ही आज बैंकों की अनिष्पादनीय आस्तियां (नान–परफार्मिंग एसेट्स) तेजी से बढ़ रहीं हैं। उनके लिये संबंधित ऋणग्राही उद्यमी व ऋण प्रदाता बैंक से अधिक उत्तरदायी देश में उद्योगों के लिये अनुकूल व लेवल प्लेइंग वातावरण नहीं होने की समस्या है। सामान्यतः कोई भी उद्यमी ऋण पुनर्भुगतान में व्यक्तिक्रम कर डिफाल्टर नहीं होना चाहता है। उसके बाद आजीवन वह एवं उसका उपक्रम बैंकिंग सुविधाओं सहित कई प्रकार के लाभ व सुविधाओं के लिये अपात्र बन जाता है। लेकिन, वैश्वीकरण के अधीन हुये आयात उदारीकरण के कारण आज वह आयातों की स्पर्द्धा में टिक नहीं पा रहा है और ऋण सेवा अदायगी में डिफाल्टर हो रहा है। निर्यात बाजारों में भी भारतीय उत्पाद टिक नहीं पा रहे हैं। इसलिये अब देश में उत्पादन व निवेश सवर्द्धन हेतु उचित वातावरण बनाना होगा। इस विगत तिमाही व अप्रैल में आयी वृद्धि दर में कमी को पूरी गंभीरता से लेना आवश्यक है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र व उद्योगों में निवेश वृद्धि भी आवश्यक है। विगत 20 वर्षों में चीन ने विनिर्माणी उद्योगों में निवेश कर जिस गति से गुणवत्ता पूर्ण रोजगार का विस्तार किया है, उससे आज चीन की कुल जनसंख्या में मध्यम वर्ग का अनुपात विश्व में सर्वोच्च हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रमापों के अनुसार चीन में मध्यम वर्ग की जनसंख्या आज विश्व की मध्यम वर्गीय जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत है। भारत में मध्यम आय वर्ग की संख्या 2.4 करोड़ ही होने से यह मात्र 3 प्रतिशत है। मेक्किन्से के अनुसार चीन में शहरी जनसंख्या में मध्यम वर्ग का अनुपात 60 प्रतिशत हो गया है जो 2022 तक 76 प्रतिशत हो जायेगा। वर्ष 2000 में यह मात्र 4 प्रतिशत था। अपने देश में गरीबी रेखा से नीचे जी रही जनसंख्या सर्वोच्च है। आर्थिक विषमता की दृष्टि से भी आज भारत रूस के बाद दूसरा सर्वाधिक आर्थिक विषमता वाला देश बन गया है। भारत में देश की 53 प्रतिशत संपदा आज शीर्ष 1 प्रतिशत जनसंख्या के नियंत्रण में है। जापान विश्व का सर्वाधिक आर्थिक समतामूलक देश है, जहां देश के 1 प्रतिशत शीर्ष धनी लोगों के नियंत्रण में मात्र 22 प्रतिशत संपदा है। वस्तुतः बिना मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या बढ़ाये, अर्थव्यवस्था में मांग, उत्पादन व निवेश वृद्धि संभव नहीं है। इस हेतु कृषि व उद्योगों में सार्वजनिक निवेश व गुणवत्ता मूलक रोजगार के अवसरों में वृद्धि आवश्यक है। ❑❑

आर्थिक विषमता की दृष्टि से भी आज भारत रूस के बाद दूसरा सर्वाधिक आर्थिक विषमता वाला देश बन गया है। भारत में देश की 53 प्रतिशत संपदा आज शीर्ष 1 प्रतिशत जनसंख्या के नियंत्रण में है।

इसरो की लंबी छलांग

संचार क्रांति का नया युग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने सबसे भारी भरकम राकेट मार्क–3 के जरिए संचार उपग्रह जीसैट–19 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके देश में नयी संचार क्रांति के द्वार खोल दिये हैं। इससे भारतीय इंटरनेट सेवाओं में क्रांति आ जायेगी। इंटरनेट उपभोक्ताओं को 'हाईस्पीड डाटा' मिलेगा। जीसैट–19 प्रति सेकेंड 4 गीगाबाइट डाटा देने में सक्षम है। जीसैट–19 में कोई ट्रांसपांडर नहीं है। इसकी जगह मल्टिपल फ्रिक्वेंसी बीम का इस्तेमाल किया गया है। जिससे इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी बढ़ जायेगी। इसका वजन 3 टन से अधिक है। यह सात पुराने उपग्रहों के बराबर है। इसे अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में बनाया गया है। इसके अगले डेढ़ साल में जीसैट–11 और जीसैट–20 को भी लांच करने की तैयारी है। यह उपग्रह भी संचार सुविधाओं का विस्तार करेगा। इसकी लांचिंग के साथ ही डिजिटल भारत को मजबूती मिलेगी और ऐसी इंटरनेट सेवाएं मिलेगी जैसे पहले कभी नहीं मिली। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार नया उपग्रह और वाहन यान एक बड़ा प्रयोग साबित हुआ है। जीसैट–19 का प्रक्षेपण देश के सबसे भारी राकेट मार्क–3डी 1 के जरिये श्रीहरिकोटा से 5 जून 2017 को किया गया। इसमें देश में बना क्रायोजेनिक इंजन लगा है। मार्क–3 भविष्य का अंतरिक्ष वाहन है। इसकी लागत 300 करोड़ रूपये है और इसका वजन 640 टन है जो लगभग 200 हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी लंबाई 43 मीटर है और इसे तैयार करने में 15 साल लगे हैं। इसकी उम्र भी लगभग 15 साल होगी।

मार्क–3 भविष्य का अंतरिक्ष वाहन है। इसकी लागत 300 करोड़ रूपये है और इसका वजन 640 टन है जो लगभग 200 हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी लंबाई 43 मीटर है और इसे तैयार करने में 15 साल लगे हैं।

– **निरंकार सिंह**

इससे पहले दिसंबर 2014 में जीएसएलवी–एमके–2 के जरिए जब दो टन के उपग्रह को भेजा गया था तो इसरो ने प्रक्षेपण क्षमता तो विकसित कर ली थी, लेकिन रॉकेटों की डिजाइन में रूस का गहरा प्रभाव था। लेकिन इस प्रक्षेपण की सारी तकनीक भारत ने खुद विकसित की है। जैसा कि इसरो अध्यक्ष ने दावा किया है कि यह तकनीक उपग्रह प्रक्षेपित करने की भारत की क्षमता में कई गुना वृद्धि करेगी। असल में भारत ने शुरूआत में क्रायोजनिक तकनीक खरीदने के लिए रूस के साथ करार किया था, लेकिन 1990 के दशक के आरंभ में अमरीका ने मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) का हवाला देते

हुए इसमें रोड़ा अटका दिया था। इसका असर यह हुआ कि रूस ने तकनीक तो नहीं दी, मगर छह क्रायोजनिक इंजन मुहैया कराये। भारत ने पिछले साल ही एमटीसीआर में प्रवेश किया है। इसरो ने रूसी इंजन के साथ पहला जीएसएलवी रॉकेट बनाया, लेकिन उसकी गति इतनी नहीं थी वह उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित कर पाता। आखिरकार इसरो इस चुनौती से रूबरू हुआ कि वह अपनी तकनीक और इंजन खुद विकसित करे, जिसका नतीजा एमके–3 के रूप में सामने आया। इसकी दोहरी उपलब्धियां भी उतनी ही ध्यान देने लायक है। यह अंतरिक्ष यान या रॉकेट इनसैट–4 जैसे चार–पांच टन के भारी भरकम उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। जबकि अब तक हम अधिक से अधिक दो टन के उपग्रहों को ही अंतरिक्ष में ले जा सकते थे। यानि अब हमें वजनी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए विदेशी रॉकेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर होने के साथ–साथ इससे अंतरिक्ष अभियानों में इसरो का खर्च भी कम होगा। वैसे तो हमारे अंतरिक्ष यान विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का काम पिछले काफी समय से करते ही आ रहे हैं, लेकिन यह नया राकेट इनसैट–4 श्रेणी के विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा। जाहिर है कि जीएसएलवी मार्क–3 के प्रक्षेपण के बाद अरबों डॉलर के वैश्विक बाजार में भारत की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो ने अपने इस प्रयोग के जरिये इंसान को स्पेस में भेजने के रास्ते पर पहला कदम बढ़ा दिया है।

दिसंबर 2014 में जीएसएलवी मार्क–3 राकेट के साथ मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक कैप्सूल भी भेजा गया था, जिसे अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक धरती पर उतार लिया गया है। यह एक बार में दो–तीन लोगों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। रॉकेट इस कैप्सूल को 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर गया, जहां यह रॉकेट से अलग हो गया और फिर पैराशूट के सहारे इसे बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया। कैप्सूल की इस कामयाब लैंडिंग से अगले कुछ सालों में भारतीय खोजी दल को चांद पर उतारने की योजना को पंख लग गये हैं। अभी तक केवल अमरीका चालीस–पैंतालीस साल पहले अपने अपोलो अभियान में गिनती के 19 लोगों को चन्द्रमा पर पहुंचाकर वहां से उन्हें जीवित वापस ला सका है। इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता अमरीका के अलावा सिर्फ रूस और चीन के पास है। इसरो की इस कामयाबी के बाद हम भारी सैटलाइट्स भेजने के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गये हैं।

एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 15 फरवरी 2017 को नया विश्व रिकार्ड बना चुका है।

एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 15 फरवरी 2017 को नया विश्व रिकार्ड बना चुका है। इनको पीएसएलवी–सी37 की मदद से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। इनमें 101 विदेशी और तीन स्वदेशी हैं। इनमें से ज्यादातर नैनो सैटलाइट्स हैं। अभी तक सर्वाधिक संख्या में एक साथ उपग्रह भेजने का रिकार्ड रूस के नाम था। जून 2014 में उसके डीएनईपीआर राकेट से एक साथ 37 उपग्रह भेजे गये थे। पर मंगलयान की कामयाबी के बाद इसरो को लगातार विदेशी उपग्रहों को लांच करने के आर्डर मिल रहे हैं। इसरो के चेयरमैन एस. किरण कुमार का कहना है कि एक साथ 104 सेटलाइट्स लांच करने का मकसद कोई रिकार्ड कायम करना नहीं, बल्कि स्पेस मिशनस की लागत को कम करना है।

इसरो सुरक्षित तरीके से कम कीमत में उपग्रहों को लांच करने के मामले में दुनियाभर में अपनी साख बना चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष क्षेत्र में दिनों दिन नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब यह स्वदेशी उपग्रहों के साथ ही कई विदेशी उपग्रहों को भी एक साथ भेज रहा है। यह संभव हो रहा है स्वदेशी पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी) के जरिए। इस उपलब्धि के कारण हम अन्य देशों से अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई कदम आगे निकल गये हैं। पिछले साल इसरो के लिए काफी खास रहा। 26 मई, 1999 से 22 सितंबर 2016 तक इसरो 79 विदेशी उपग्रह लांच कर चुका है। ये सभी उपग्रह भी पीएसएलवी से ही लांच किये गये। दिसंबर 2016 तक 88 स्वदेशी उपग्रह भी लांच किये जा चुके हैं। इसरो की तकनीक के मुरीद 20 देश हैं। इनके नाम हैं– जर्मनी, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, इंडोनेशिया, अर्जेण्टीना, इटली, इजरायल, कनाडा, जापान, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, तुर्की, स्विटजरलैंड, अल्जीरिया, सिंगापुर, लक्जमबर्ग, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। जीसैट–19 की सफलता से दुनिया के कई और देशों का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। इसरो ने पिछले कुछ वर्षो की उपलब्धियों से यह साबित कर दिया है कि यदि काम करने का माहौल और स्वतंत्रता मिले तो हमारे वैज्ञानिक बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं।

इसरो के अलावा देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े अभियान के तहत

एक भारतीय स्टार्ट अप दो करोड़ डालर के पुरस्कार के लिए चार अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ चन्द्रमा पर पहले पहुंचने की होड़ में शामिल हो गया है। बेंगलूरू की टीम इडस के मुख्यालय में राहुल नारायण के नेतृत्व में 'मून रोवर' परीक्षणों के दौर से गुजर रहा है। यदि सब कुछ ठीक–ठाक रहा तो इस रोवर को दिसंबर 2017 तक चांद की सतह पर उतार दिया जायेगा और यह वहां 500 मीटर की दूरी तय करते हुए पृथ्वी को उसके सबसे नजदीकी खगोलीय साथी की उच्चकोटि की तस्वीरें और वीडियो भेजेगा। यदि यह कामयाब हो जाता है तो टीम इंडस अंतरिक्ष में इतिहास रच देगी और एक अंतरिक्ष यान बनाने और चांद पर उतारने वाली ही नहीं बल्कि चांद की सतह पर रोवर को चलाने वाली भी दुनिया की पहली निजी कंपनी बन जायेगी। टीमइंडस ने इस रोवर का नाम ईसीए रखा है, जो 'एक छोटी सी आशा' के पहले अक्षरों से मिलकर बना संक्षिप्त रूप है। पर यह उद्यम अंतरिक्ष को खंगालने के उद्यम में आगे की बहुत ऊंची छलांग है। भारत की नुमाइंदगी करने वाली टीमइंडस दुनिया की उन पांच कंपनियों में से है जिन्हें इस जनवरी में अब तक सबसे बड़ी अंतरिक्ष की निजी कंपनियों की स्पर्धा–गूगल लुनर एक्स प्राइज में मुकाबले के लिए चुना गया था। मुकाबले के लिए चुनी गई अन्य चार टीमे हैं–मून एक्सप्रेस (अमरीका), स्पैसेल (इजरायल), हाकुतो (जापान) और सिनर्जी मून (एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्शियम या संघ)।

2007 में शुरू इस स्पर्धा को गूगल ने प्रयोजित किया था और इसे इस तरह तैयार किया गया था जिससे दुनिया भर के इंजीनियरों, उद्यमियों और नवोन्मेषियों को निजी क्षेत्र की रकम से पोषित टीमों के जरिए रोबोट से अंतरिक्ष की खोज के सस्ते और कम लागत के तरीके विकसित करने के लिए चुनौती दी जा सके। इनाम जीतने के लिए टीमों को चांद पर कामयाबी के साथ एक यान उतारना होगा, उसकी सतह पर उसे 500 मीटर की दूरी तय करवानी होगी और उसकी खींची हुई तस्वीरें और वीडियो वापस धरती पर मंगवानी होगी। टीमों को यह भी साबित करना होगा कि उनके मिशन की 50 फीसदी लागत निजी स्रोतों से जुटाई गई थी। शुरूआती मुकाबले में 32 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की थी, जिनमें से बाद में घटकर 16 रह गई और आखिर में कुल पांच टीमें बचीं। मिशन को सफलता के साथ पूरा करने वाली पहली टीम को 2 करोड़ डॉलर (120 करोड़ रू.) का इनाम मिलेगा और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 50 लाख डॉलर (30 करोड़ रू.) का इनाम मिलेगा। ❑❑

(लेखक हिन्दी विश्वकोश के सहायक संपादक रह चुके हैं। आज कल स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं।)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

खाद्य तंत्र पर आधिपत्य जमाती कंपनियां

2008 की विश्वव्यापी मंदी के बाद शुरू हुई खेतिहर जमीन के अधिग्रहण की प्रकिया भले ही अब मंद पड़ गई हो लेकिन वैश्विक खाद्य तंत्र पर कब्जा जमाने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई है। छोटी जोतों और स्थानीय खाद्य बाजार की जगह वैश्विक खाद्य आपूर्ति तंत्र स्थापित करने की जो प्रक्रिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप–अमरीका में शुरू हुई थी वह अब तीसरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। यह काम किसानों का विशाल संगठन या सरकारें नहीं बल्कि बड़ी–बड़ी एग्रीबिजनेस कंपनियां कर रही हैं। ये कंपनियां तीसरी दुनिया में दस्तक दे चुकी हैं तो इसका कारण परमार्थ न होकर यहां के विशाल बाजार पर कब्जा करने की कुटिल चाल है। बीज, उर्वरक, रसायनक, कीटनाशक, प्रसंस्करण आदि पर कब्जा जमा चुकी कंपनियों के सामने एक बड़ी चुनौती इन देशों में प्रचलित स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं। इसीलिए कंपनियां झूठे व आकर्षक प्रचार युद्ध के जरिए इन देशों के "लोकल" खाद्य पदार्थों की जगह "ग्लोबल" आहार को लोकप्रिय बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इसका सटीक उदाहरण है मैगी, मोमोज, चाउमीन, पीजा, बर्गर, चाकलेट, शीतलपेय, बोतलबंद पानी आदि का बढ़ता प्रचलन। आज देश के किसी भी गांव–गिरांव में चले जाइए वहां नींबू–पानी, गुड़, सत्तू आदि भले न मिले मैगी, मोमोज, चाउमीन जरूर मिल जाएंगे।

बीज, उर्वरक, रसायनिक, कीटनाशक, प्रसंस्करण आदि पर कब्जा जमा चुकी कंपनियों के सामने एक बड़ी चुनौती इन देशों में प्रचलित स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं। इसीलिए कंपनियां झूठे व आकर्षक प्रचार युद्ध के जरिए इन देशों के "लोकल" खाद्य पदार्थों की जगह "ग्लोबल" आहार को लोकप्रिय बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। – **रमेश कुमार दुबे**

एग्रीबिजनेस कंपनियां और उनके पक्षधर यह तर्क देते हैं कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए न सिर्फ बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है बल्कि उस उत्पादन को लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीकृत आपूर्ति तंत्र की व्यवस्था भी आवश्यक है। अपनी कुटिल चाल को कामयाब बनाने के लिए ये कंपनियां लाबिइस्ट की फौज रखती हैं। ये लाबिइस्टी साम–दाम–दंड–भेद अपनाकर तीसरी दुनिया की सरकारों को अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए तैयार करने का काम करते हैं। दूसरी ओर जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी दुनिया की 70 फीसदी आबादी को खाद्यान्नी आपूर्ति करने का कार्य छोटी जोतों और स्थानीय स्तर पर मौजूद राशन की दुकानें ही कर रही हैं। इसे एशिया में धान के उदाहरण से समझा जा सकता है। एशिया में पैदा होने वाले धान का 99 फीसदी हिस्सा दो हेक्टेयर से कम जोत वाले रकबे से आता है। इतनी छोटी जोत कोई एग्रीबिजनेस कंपनी नहीं रखती है। स्पष्ट है बढ़ती आबादी का पेट छोटी जोतें ही भर सकती हैं।

जमीनी हकीकत को ठुकराकर पूंजी केंद्रित नीतियों को लागू करने का नतीजा बढ़ती असमानता के रूप में सामने आ रहा है। अमरीका–यूरोप में शुरू हुई इन नीतियों को दुनिया भर में फैलाने का काम ग्लोबलाइजेशन ने किया। आज धरती का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जो असमानता बढ़ाने वाली पूंजीवादी नीतियों से बचा हो। अब तो बीज–खाद से लेकर कच्चे–पक्के भोजन तक के कारोबार में ये कंपनियां पैठ बनाने लगी हैं। यह क्षेत्र अब तक

न सिर्फ बिखरा हुआ रहा है बल्कि इससे करोड़ों लोगों को रोजी–रोटी भी मिल रही है। यही कारण है कि जैसे–जैसे इस विकेंद्रित खाद्यतंत्र पर एग्रीबिजनेस कंपनियों का आधिपत्य बढ़ रहा है, वैसे–वैसे असंतोष फैलता जा रहा है।

देखा जाए तो महंगाई, पर्यावरण विनाश, बेरोजगारी और कंपनियों का बढ़ता मुनाफा इस असंतोष के लिए खाद–पानी का काम कर रहे हैं। एग्रीबिजनेस कंपनियां स्थानीय खाद्य मंत्र को वैश्विक रूप देती जा रही हैं। यही कारण है कि आज खेत में पैदा होने से लेकर थाली की मेज तक पहुंचने में खाद्य पदार्थ औसतन 1500 मील की दूरी तय करते हैं और हर कदम पर मुनाफे की फसल लहलहाती है। इसे चंद उदाहरणों से समझा जा सकता है। आज अमरीका में पैदा होने वाले 93 फीसदी सोयाबीन और 80 फीसदी मक्का पर इकलौती कंपनी मोनसेंटो का आधिपत्य है। दुनिया के अनाज कारोबार को महज 4 कंपनियां नियंत्रित करती हैं। दूध के वैश्विक कारोबार के आधे हिस्से पर बीस कंपनियों का कब्जा है। कीटनाशकों के वैश्विक कारोबार पर 6 भीमकाय निगमों का आधिपत्य है। इनके मुनाफे को देखें तो आखे फटी की फटी रह जाती हैं। उदाहरण के लिए 2014 में नेस्ले ने 16.5 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया जो कि दुनिया के 70 देशों के कुल जीडीपी से अधिक है। इसी प्रकार वालमार्ट ने 2014 में 16.2 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया जो 88 देशों के जीडीपी के बराबर है। जैसे–जैसे इन कंपनियों का एकाधिकार बढ़ रहा है वैसे–वैसे किसानों की आमदनी कम होती जा रही है क्योंकि खरीद–बिक्री पर एकाधिकार स्थाापित कर ये कंपनियां किसानों के विकल्पों को कम कर देती हैं। उदाहरण के लिए 1990 में कॉफी उत्पादक देशों के हिस्से में कुल फुटकर बिक्री का 33 फीसदी आता था जोकि 2002 में 10 फीसदी रह गया। चूंकि इन कंपनियों का लक्ष्य अपने मुनाफे को अधिक से अधिक करना रहता है इसलिए ये मिट्टी, हवा, पानी आदि किसी की परवाह नहीं करती हैं जिसका दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग और नई–नई बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है। इन नई–नवेली बीमारियों की दवाइयां भी इन कंपनियों की सहायक कंपनियां बनाती हैं। स्पष्ट है आज एग्रीबिजनेस कंपनियां दुनिया के गरीबों को दोनों हाथों से लूट रही हैं।

एग्रीबिजनेस कंपनियां खाद्य तंत्र पर कब्जे की शुरूआत खेती के मूल आधार (बीज) से करती हैं। पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार इनके लिए सीढ़ी का काम करते हैं। इससे वैश्विक बीज कारोबार एक जगह पर सिमटता जा रहा है। उदाहरण के लिए चार दशक पहले जहां हजारों कंपनियां बीज उत्पादन करती थीं, वहीं आज दुनिया की दस चोटी की कंपनियां कुल बीज उत्पादन के 67 फीसदी हिस्से पर कब्जा जमा चुकी हैं और इनका हिस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी प्रकार शीर्ष दस कंपनियां कीटनाशकों के 90 फीसदी कारोबार पर नियंत्रण कर चुकी हैं। जैसे–जैसे वाणिज्यिक बीज प्रणाली का आधिपत्य बढ़ रहा है वैसे–वैसे कृषि जैव विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। उदाहरण के लिए 1959 में श्रीलंका में करीब 2,000 किस्मों के धान की खेती की जाती थी लेकिन आज वहां 100 से भी कम किस्में प्रचलन में हैं। इसी प्रकार बंग्लादेश व इंडोनेशिया में स्थानीय धान की क्रमशः 62 व 74 फीसदी किस्में सदा के लिए लुप्त हो गईं। भारतीय संदर्भ में देखें तो यहां पिछले 50 वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों की सूखा व बाढ़ रोधी हजारों किस्में गायब हो चुकी हैं। जैव विविधता ह्रास को विश्व खाद्य संगठन ने भी स्वीकार किया है। इसके मुताबिक आज दुनिया का 75 फीसदी खाद्य पदार्थ 12 पौधों और पांच पशु प्रजातियों से पैदा हो रहा है। 30,000 ज्ञात खाद्य पौध प्रजाति में से तीन (धान, मक्का और गेहूं) 80 फीसदी कैलोरी व प्रोटीन मुहैया करा रही हैं।

वैसे तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में खेती का योगदान 17 फीसदी माना जाता है। लेकिन औद्योगिक खाद्य तंत्र में रासायनिक उर्वरक, भारी मशीनरी, तेल आधारित तकनीक, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, प्रशीतन आदि की गणना की जाए तो कुल कार्बन उत्सर्जन में खेती का योगदान 50 फीसदी तक पहुंच जाता है। फिर इस तंत्र में खेत से लेकर भोजन की मेज तक पहुंचने के क्रम में आधे खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते है जिन्हें कचराघरों में डंप करने व उनके सड़ने से भी बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। यह नष्ट हुई खाद्य सामग्री दुनिया में भूखमरी के शिकार लोगों से 6 गुना अधिक लोगों के पेट की आग बुझा सकती है। चूंकि औद्योगिक खेती का लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है इसलिए इसमें मिट्टी की उर्वरता में कमी की भरपाई रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से की जाती है। इस प्रक्रिया में मिट्टी के 30–75 फीसदी जैविक तत्व नष्टा हो जाते हैं। ये जैविक तत्व हवा में घुलने के साथ–साथ नदियों झीलों व समुद्र की तलहटी में जमा होते हैं। यह अनुमान है कि मिट्टी के जैविक तत्वों के विनाश से वायुमंडल में 200–300 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड जमा हुई। दूसरे शब्दों में आज वायुमंडल में जो कार्बन की अधिकता है उसमें 25 से 40 फीसदी मिट्टी के जैविक तत्वों के नष्ट होने से जमा हुई है।

स्पष्ट है कि वैश्कि खाद्य तंत्र पर कंपनियों का बढ़ता आधिपत्य न सिर्फ लोगों को गरीबी–भूखमरी की बाड़े में धकेलने का काम करेगा, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। ❑❑

पैरिस जलवायु समझौता

अमरीकी पलायन और आगे की राह

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैरिस जलवायु समझौते से हटकर सबसे ज्यादा नैतिक झटका अमरीकी जनता को ही दिया है जो अपने बचपन से ही अमरीकी महानता के किस्से सुनकर बडे हुए है। इसी अमरीका को दुनिया की इतनी मिथ्या चिंता थी कि उसने जापान, लीबिया, वियतनाम, ईराक, अफगानिस्तान और सीरिया से लडाईयां लडी। युद्ध के लिये पैसा चाहिये और पैसों के लिये प्राकृतिक संसाधनों का अत्याधिक दोहन। मानवता के इतिहास में अगर किसी एक देश ने पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है तो वह अमरीका ही है। इस समझौते से हटने के लिये जो भी कारण गिनवाये गये, वह भी बचकाने से है। ट्रंप ने यह कहते हुये पैरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है कि इससे तो सिर्फ चीन और भारत को ही फायदा होगा। जो अमरीका अभी तक 'वैश्विक गांव' की अवधारणा का प्रवचन देकर आर्थिक उदारीकरण का ढिंढोरा पीटता था। वह आज एंकाकी और संर्कीण सोच से प्रेरित आचरण कर रहा है।

ट्रंप ने यह कहते हुये पैरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है कि इससे तो सिर्फ चीन और भारत को ही फायदा होगा। जो अमरीका अभी तक 'वैश्विक गांव' की अवधारणा का प्रवचन देकर आर्थिक उदारीकरण का ढिंढोरा पीटता था। वह आज एंकाकी और संकीर्ण सोच से प्रेरित आचरण कर रहा है।

– दुलीचन्द रमन

पैरिस समझौता क्या है?

यह एक एतिहासिक संधि है। जिस पर विश्व के 195 से अधिक देशों ने दिसंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पैरिस में अपनी सहमति दी थी। भारत ने 2 अक्तूबर 2016 को इस समझौते के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। इस संधि का मुख्य उदेदश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे को देखते हुये वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सैल्सियस की कमी लाना है ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में सन् 2010 की तुलना में 2050 तक 40 से 70 प्रतिशत की कमी लाना है। उसके बाद 2100 तक शून्य का स्तर तय किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि विश्व के कम से कम 55 देश जो कम से कम 55 प्रतिशत वैश्विक ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन करते है और इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते है तो यह कानूनी रुप से बाध्यकारी हो जायेगा। इस संधि पर शुरुआत में ही 177 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर कर दिये थे। जलवायु परिवर्तन पर इसी प्रकार का समझौता 'क्योटो प्रोटोकॉल' है जिसकी वैधता 2020 तक है लेकिन उस पर व्यापक सहमति की कमी है। कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिये पैरिस समेलन के दौरान समस्त सदस्य देशों ने अपने–अपने योगदान को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। हर देश के स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य तय किये गये थे। यह लक्ष्य न तो कानूनी रुप से बाध्यकारी है और न ही इन्हे लागू करने की कोई व्यवस्था अभी तक बनी है।

भारत और पैरिस जलवायु समझौता

भारत की लंबी समुंद्री सीमा है। विश्व तापमान में थोडी भी बढ़ोत्तरी तटीय जनसंख्या और संसाधनों को हानि पहुंचा सकती है। भारत के यह मौसम के बदलते मिजाज का ही असर है कि चैन्नई, कश्मीर और राजस्थान में बाढ आ जाती है, गर्मी के शुरुआती दिनों मे ही पारा 48 डिग्री सैल्सियस तक जा पहुंचता है। गंगौत्री, युमनोत्री के ग्लेश्यिर पीछे खिसक

रहे है। केदारनाथ जैसी त्रासदी हो सकती है। स्वच्छ पेयजल के स्त्रोत खत्म हो रहे है।

हांलाकि भारत में पर्यावरण और विकास के बारे में परस्पर विरोधी नज़रिया रहा है। लेकिन हमें सामाजिक आर्थिक और परिस्थितिक कारणों से हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की जरूरत है। हमें पैट्रोलियम पदार्थों पर अपनी निर्भरता घटाने का अवसर समझकर अच्छी टिकाऊ और समावेशी अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढाने चाहिये। भारत जैसी बढती अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन में कटौती का अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक असर पडेगा। साल 2030 तक भारत ने अपनी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33–35 फीसदी कम रखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये कृषि, जलसंसाधन, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पर भारी निवेश की आवश्यकता है। भारत–पैरिस समझौते में विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर स्थापित करवाने में सफल रहा था जिसकी टीस डोनाल्ड ट्रंप के करोडों डालर वाले ताने में झलकती है।

भारतीय जीवन दर्शन प्रकृति का सहचर माना जाता हैं। यहां पुरातन काल से ही वातावरण शुद्धि हेतु यज्ञों की परंपरा रही है। हमें पंचतत्वों पर आधारित प्रकृति के संरक्षण के लिये कोयला आधारित संयत्रों में कमी लाकर और उर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजनायें शुरु की है। कुडमकुलम परमाणु संयंत्र की इकाई 5 व 6 का समझौता भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

अमरीका की स्थिति

विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन में अमरीका 14.35 प्रतिशत उर्त्सजन करता है। जो भारत का दुगुना है। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में अमरीका विश्व में प्रथम है तथा एक आम भारतीय से 8 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। अमरीका विश्व की सबसे बडी अर्थव्यवस्था है। यह आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्राप्त किया है। अमरीका को 2025 तक 28 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन घटाना है जिससे उनकी 27 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। समझौते के प्रावधानों के मुताबिक विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को नई तकनीक के लिये वार्षिक 6.44 लाख करोड रुपये दिये जाने थे लेकिन ट्रंप की व्यापारिक बुद्धि इसे पचा नही पा रही है। 2015 में भारत को इस समझौते के तहत 19 हजार करोड रुपये की मदद मिली जिसमें अमरीका का हिस्सा महज 600 करोड रुपये का है। अमरीका जिस आर्थिक मदद का ढिंढौरा पीट रहा है वह भारत के लिये नमव्य है। इस समझौते से पलायन का एक दुष्प्रभाव अमरीकी उत्पादनों पर भी पड़ेगा क्योंकि सदस्य देश अमरीकी उत्पादनों पर कार्बन टैरिफ लगा सकते है जिससे वह महंगे हो जायेगें और अंत्योतगत्वा अमरीकी अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

विश्व में प्रतिक्रिया

विश्व के सभी देशों में अमरीका के इस कदम की निंदा की है। फ्रांस, इटली और जर्मनी के संयुक्त ब्यान जारी करके कहा है कि अमरीका एकपक्षीय तरीके से समझौते पर नये सिरे से मोलभाव नहीं कर सकता। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने तो इसे ऐतिहासिक गलती करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के मुददे पर काम करने वाली संस्था ग्रीनपीस ने भी इसे वैश्विक हितों के विपरित बताया है। ट्रंप की संर्कीण सोच से निराशा के बीच भी आशा की किरण यह है कि अमरीका के परंपरागत मित्र देश भी समझौते के साथ खडे नजर आ रहे है लेकिन एक बडा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर विश्व का दूसरे नंबर का प्रदूषक देश अमरीका ही समझौते को मानने से इंकार कर दे तो पैरिस जलवायु समझौते का भविष्य क्या होगा।

अब आगे क्या?

अमरीका के किनारा करने के बाद अब पैरिस जलवायु समझौते का नेतृत्व चीन द्वारा किये जाने की चर्चा शुरु हो गयी। खुद चीन ने भी इसके लिये अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। यह कुछ–कुछ वैसी ही स्थिति है जैसे बिल्ली को दुध का पहरेदार बैठा देना। चीन का कार्बन उत्सर्जन विश्व के कुल उत्सर्जन का लगभग एक तिहाई है। सीमेंट, स्टील व उर्जा क्षेत्रों में चीन पर्यावरण के तय मानकों का सम्मान नहीं करता। हालांकि पिछले दिनों उसने 100 से ज्यादा कोयला आधारित संयत्रों का निर्माण रदद कर दिया है। लेकिन अपनी विकास दर को बनाये रखने के लिये और चीनी जनता के रोजगार को बनाये रखने के लिये चीन अपनी वायदों पर खरा उतरेगा, इसमें संदेह है। क्योंकि चीन के लाखों रोजगार कोयले, स्टील के कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों से जुड़े है। अमरीका के परिदृश्य से हट जाने के कारण चीन को अपनी महत्वाकाक्षाओं को बढ़ाने का मौका मिल सकता है चीन की समाजवादी महत्वाकांक्षाओं को भी पंख लग सकते है।

इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि दुनिया की सबसे बडी अर्थव्यवस्था और स्वघोषित एकमात्र विश्वशक्ति के पास दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में जाकर तनाव पैदा करने के लिये तो धन है लेकिन अपनी भावी पीढ़ियों तक विगत प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के पापों के प्रायश्चित के लिये धन की कमी हो जाती है। देर–सवेर अमरीकी जनता के दबाव में ट्रंप को अपनी हठ–धर्मिता छोड़कर पैरिस जलवायु समझौते को मानना ही होगा। ये अलग बात है कि वह इसके लिये कुछ शर्तों के रुप में राहत चाहेगा जिसका जिक्र ट्रंप ने अपने व्यक्तव्य में कर दिया था। अमरीका का यह शुतुर्मुर्गी रवैया ज्यादा देर तक नही चल सकता। ❑❑

भारतीय शिक्षा का आधारः गुरू–शिष्य परंपरा

भारतीय गुरू शिष्य परंपरा में गुरू द्वारा ज्ञान पाने की मूल पात्रता शिष्य का गुरू के प्रति समर्पण, सेवा व आज्ञाकारिता ही थी। संपूर्ण आर्यावर्त में आश्रम व्यवस्था के अनुशासन का पालन अधिसंख्य समाज करता था। इसमें उपनयन संस्कार के साथ ही बालक के प्रथम पच्चीस वर्ष शिष्य द्वारा गुरू के कठोर अनुशासन में व्यतीत होते थे। गुरू शिष्य को इस प्रकार संस्कारित करते थे कि वे अपने परिवार व समाज के प्रति उत्तरदायी बनें। यह समय ही व्यक्ति के पचास वर्ष की आयु तक गृहस्थाश्रम में जीवन व्यतीत करने का आधार बनता था। जीवन के अंतिम वानप्रस्थ व सन्यासाश्रम में आध्यात्मिक विकास की आधार भूमि भी गुरूकुल में ही तैयार हो जाती थी। क्योंकि गुरू द्वारा जीवनोपयोगी विधाओं को सिखाने के साथ ही वेद, वेदांग, उपनिषद भी शिक्षण व चिंतन के विषय हुआ करते थे।

गुरू अपने शिष्य के संपूर्ण जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिये नित्य, निरंतर प्रयास करते थे। गुरू द्वारा किया गया क्रोध भी शिष्य के जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने का अवसर था, क्योंकि क्रोध प्रकट करते हुए भी गुरू द्रवित हृदय से शिष्य को संरक्षण प्रदान करते थे तथा शिष्य के जीवन को स्वयं से भी ऊपर उठाने की भावना निहित रहती थी। निःस्वार्थ भाव से गुरू सभी प्रकार का ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान करते थे। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष द्वारा श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करते थे जो अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए समाज व राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकें।

जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रकाशित कर असंख्य दीप जगमगा उठते हैं वैसे ही भारत में जीवन को ज्ञान द्वारा प्रकाशमान करने की प्राचीन गुरू–शिष्य परंपरा

जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रकाशित कर असंख्य दीप जगमगा उठते हैं वैसे ही भारत में जीवन को ज्ञान द्वारा प्रकाशमान करने की प्राचीन गुरू–शिष्य परंपरा रही है।

– डॉ. रेखा भट्ट

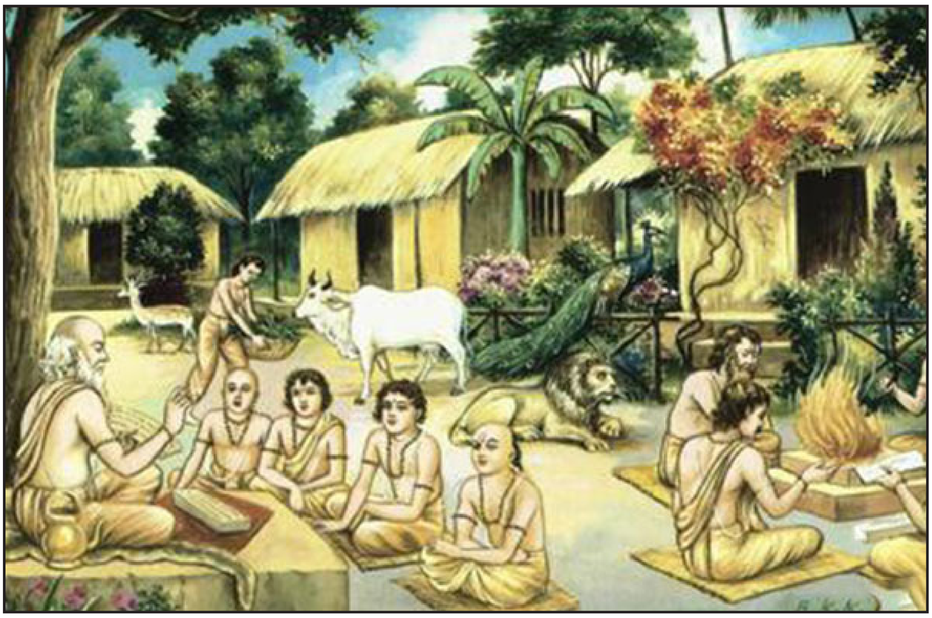

रही है। गीता में **भगवान श्रीकृष्ण** ने भी गुरू–शिष्य परंपरा को ''परंपराप्राप्तम् योग'' बताया है। यह योग गुरू द्वारा प्रदान किये गये लौकिक व सांसारिक ज्ञान से आरंभ होता है तथा अंतिम सत्य पारलौकिक ज्ञान (ईश्वर) की प्राप्ति है।

भारतीय संस्कृति में गुरू को निर्गुण एवं निराकार भी माना गया है। गुरू को किसी निश्चित गुण आकार या प्रकार में नहीं बांधा जा सकता है। जो मानव मात्र को किसी भी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं, वे सभी गुरू हैं। इस तथ्य की पुष्टि निम्न प्राचीन श्लोक से स्पष्ट है–

''शरीरमिन्द्रियं प्राणचार्यः स्वजन बन्धर्ता।
मातृकुलं पितृकुलं गुरूरेव न सशंयाः।।''

अर्थात्– शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, मातृकुल एवं पितृकुल सभी गुरू ही है, इसमें कोई संशय नहीं।

भगवान दत्तात्रेय ने तो अपने जीवन में जीवों (कुत्ता, चींटी, हाथी) को भी गुरू माना था।

आचार्य चाणक्य ने कहा है–

''एकाक्षर प्रदातारम् यो गुरूं नभि वंदति।
श्वानयोनि शत् मुक्ता चाण्डालेष्वभिजायते।।

अर्थात्– एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी गुरू कहलाता है। यदि कोई ऐसे गुरू का आदर नहीं करता तो वह श्वान योनि में सौ बार जन्म लेने के बाद भी चाण्डाल रूप में जन्म लेता है।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरू पद कितना महत्त्वपूर्ण और उच्च स्तरीय रहा है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि संपूर्ण जगत को मार्ग दिखाने वाले तथा विष्णु स्वरूप जगत का पालन करने वाले गुरू का अनादर भगवान शिव को भी सहन नहीं होता है।

महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक दृष्टांत उद्धृत किया है, जिसके अनुसार– ब्राह्मण रूप धरकर कागभुशुण्डि ने अभिमानपूर्वक अपने शिवभक्त गुरू का अपमान किया। इस पर क्रुद्ध होकर महादेव शिव ने ब्राह्मण को करोड़ों युगों तक जन्म न ले सकने के पश्चात् पशु–पक्षी (तिर्यक) योनियों में शरीर धारण करते रहने का श्राप देकर दंडित किया। कंपित शिष्य को देखकर एवं भयानक श्राप सुनकर गुरू को अतीव संताप हुआ–

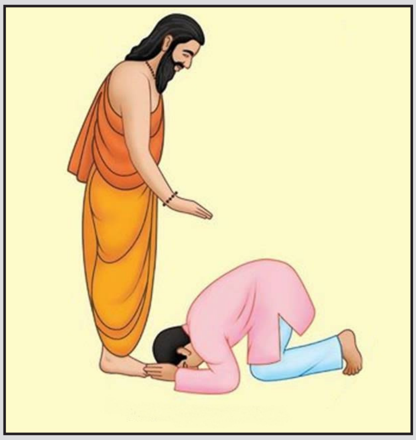

यदि साक्षात शिवजी रूष्ट हो तो गुरू बचाने वाले हैं किन्तु यदि गुरू रूष्ट हो तो बचाने वाला कोई नहीं।

हाहाकार कीन्ह गुरू, दारून सुनि सिवसाप।
कम्पित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप।।

रा.मा.उ.का. दोहा 108(क.)।।

गुरू ने अज्ञानी शिष्य पर क्रोध न करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की–

''तनव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान।
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपा सिंधु भगवान।।

रा.मा.उ.का. दोहा 108 (ग)।।

तथा शिष्य कागभुशुण्डि को अल्प समय में श्राप के प्रभाव से मुक्त कर अनुग्रह प्रदान करवाया।

गुरू की क्षमाशीलता व दयालुता के कारण वे अपने शिष्य को ईश्वर के प्रकोप से भी मुक्ति दिलवाते हैं, किन्तु स्वयं गुरू के क्रोध द्वारा शिष्य का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता।

''शिव रूष्टे गुरूस्थाता गुरौ रूष्टे न कश्चन।
लब्ध्वा कुल गुरूं, सम्यगुरूमेव समाश्रयेत्।।

लोक का अभिप्राय है कि– यदि साक्षात शिवजी रूष्ट हो तो गुरू बचाने वाले हैं किन्तु यदि गुरू रूष्ट हो तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरू को संप्राप्त कर सदा उनके आश्रय में रहना चाहिये।

महाभारत में इसका वर्णन मिलता है कि, वीर सूर्यपुत्र कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण पुत्र बताकर **गुरू परशुराम** से धनुर्विद्या प्राप्त की। वास्तविकता सामने आने पर कर्ण के असत्य से क्रोधित होकर गुरू परशुराम ने ब्रह्मास्त्र व अन्य सभी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप देकर कर्ण को दंडित किया।

महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए अपनी रक्षा में ब्रह्मास्त्रों की आवश्यकता पड़ने पर गुरू परशुराम द्वारा सीखी गई धुनर्विद्या व अन्य शक्तियों का प्रयोग कर्ण नहीं कर पाते हैं। गुरू का श्राप युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु का कारण बना।

सभी शास्त्रों में वर्णन है कि गुरू जगत का संहार करने की भी शक्ति रखते हैं, अतः गुरू को महेश भी कहा है। गुरू का आश्रय एवं कृपा, शिष्य की श्रद्धा व भक्ति पर निर्भर करती है। गुरू कृपा से शिष्य के जीवन से सारे लोभ, मोह व अज्ञान के अंधकार दूर होते हैं।

इस प्रकार हजारों वर्षों से उच्च स्तरीय गुरू शिष्य परंपरा के कारण ही भारत ज्ञान विज्ञान का विश्व केंद्र बना रहा। संपूर्ण विश्व की मानवता को गुरू ज्ञान देने का कार्य भारतीय संस्कृति ने ही किया है। इसी कारण यहां के समाज में विपरीत परिस्थितियों में भी गुरूओं

के कारण ही ज्ञान की अविरल गंगा निरंतर प्रवाहमान रही है।

अयोध्यापति मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के साथ गुरू विश्वामित्र एवं गुरू वशिष्ठ, द्वारिकाधीश, महाभारत के महानायक योगीराज श्री कृष्ण के साथ गुरू सन्दिपनी, धनुर्धर अर्जुन के साथ आचार्य द्रोण और चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ आचार्य चाणक्य, स्वामी विवेकानन्द के साथ रामकृष्ण परमहंस तथा वीर शिवाजी के साथ गुरू रामदास का नाम अवश्य उल्लेखित होता है।

भारतीय परंपरा में सिख पंथ के संस्थापक गुरूनानक देव से प्रारंभ होकर अंतिम दशमेश गुरू गोविंद सिंह जी का एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थान है। भक्तिमति मीरा ने संत रैदास को गुरू मानकर इस परंपरा को वर्णमुक्त ही नहीं किया वरन् नवीन ऊँचाईयां भी प्रदान की। संत कबीर तो गुरू को गोविंद से भी बढ़कर मानते हैं। आज भी भारतीय समाज में उनका प्रसिद्ध दोहा *''गुरू गोविन्द दोऊँ खड़े, काके लागू पायं''* प्रचलित है।

परंतु कालचक्र की गति से आज यह उच्च स्तरीय गुरू ज्ञान व गुरू पद लगभग अपनी महत्ता खो चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में अपनी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर यूरोपियन मैकॉलयी शिक्षा व्यवस्था को अपना लिया। इसी से संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य भी ज्ञान आधारित नहीं रहे।

विद्यार्थी शिक्षक के कठोर वचन एवं व्यवहार से सुरक्षित रहते हैं किन्तु दण्ड अधिनियम से शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सुधारने व जीवन को उन्नत करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

आधुनिक समय में विद्यार्थी पाश्चात्य का अनुकरण करते हुए विद्यार्जन के लिए भौतिक साधनों पर निर्भर हैं तथा भौतिकता ही साध्य है। ज्ञानप्रद विद्या प्राप्त कर जीवन के अभ्युदय का लक्ष्य नहीं रहा है, वरन् अधिक से अधिक अर्थलाभ की दृष्टि से ही विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करता है। पाश्चात्य देशों की तरह भारत में भी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा दण्डित किया जाना अपराध माना जाता है, अतः विद्यार्थी शिक्षक के कठोर वचन एवं व्यवहार से सुरक्षित रहते हैं किन्तु इस प्रकार के दण्ड अधिनियम से शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सुधारने व जीवन को उन्नत करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। वर्तमान व्यवस्था में पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने और परीक्षाएं संपन्न करवाने तक ही शिक्षक का दायित्व है।

विद्यार्थी के सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने व अपने सभी कार्यों व मनोरथों को सिद्ध करने में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक स्पर्धा और संघर्ष के इस युग में शिक्षक ही विद्यार्थी को सदाचार व सद्गुणों से उत्प्रेरित करता है। शिक्षक के बताये मार्ग का अनुसरण करने पर विद्यार्थी अपनी योग्यता को पहचानता है तथा समृद्धशाली भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होता है।

तुलसीदास जी ने कहा है–

''गुरू बिनु भवनिधि तरइ न कोई।
जो बिरंचि संकर सम होई।।

गुरू बिना कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वह शिव शंकर ही क्यों न हो। वर्तमान शिक्षण में गुरू के महत्त्व को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। परिवर्तनशील समय और भारतीय समाज को ज्ञान आधारित दिशा बोध देने की थोड़ी बहुत ताकत आज भी यदि शेष है तो वह गुरू अर्थात् वर्तमान शिक्षकों में ही है। विद्यार्थी की प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही अधिभौतिक व अधिदैविक धरातल का निर्माण करने व जीवन दर्शन पर केंद्रित शिक्षा प्रदान करने से जीवन में शिक्षक का महत्त्व बढ़ेगा और भारतीय गुरू शिष्य परंपरा पुनः समृद्ध हो सकेगी। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

'अर्धरोगहरी निद्रा' उक्ति का विवेचन व सम्यक निद्रा सेवन के लाभ

आचार्य कश्यप ने 'सुखपूर्वक सोना व जागना' को स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में गणना की है। सामान्य रूप से जनमानस पर निद्रा के विषय में विशेष जागरूकता व जानकारी नहीं रहती। राजपत्रित अवकाश, ऑफिस से छुट्टी के समय में या गृहणी द्वारा अतिरिक्त या फालतु समय में निद्रा करना भी देखा जाता है। कभी भी दिन में शयन कर लिया तो शरीर की क्षमताओं पर क्या असर आयेगा तथा लंबे समय तक अकाल निद्रा का सेवन कर लिया जाए तो दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं उसकी भी जानकरी नहीं होती। आयुर्वेद में महर्षि के अनुसार अगर निद्रा का सेवन बिना योग्य समय से किया जाए या अधिक किया जाए या सर्वथा निद्रा का त्याग किया जाए तो स्वास्थ्य व आयुष्य को दूसरी कालरात्रि की तरह निद्रा नष्ट कर देती है। अकाल शयन करने से मोह, बुखार, पाचन शक्ति का मंद होना, जुख़ाम, सिर दर्द, सूजन, शरीर का भारी–भारी लगना आदि लक्षण होते हैं।

आयुर्वेद में चार प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया है। आगन्तुज, शारीरिक, मानसिक व स्वाभाविक। भूख लगना, प्यास लगना, वृद्धावस्था, मृत्यु व **निद्रा** को **स्वभावज रोग** माना है। कहा भी है कि **'अर्धरोगहरी निद्रा सर्वरोगहरी क्षुधा'।** निद्रा रोगहरण करने का आधा काम करती है। गाढ़ी निद्रा आरोग्यप्रद है। शरीर को धारण करने वाले भावों में निद्रा प्रथम है।

निद्राकालः रात्रि के प्रथम प्रहर व अंतिम प्रहर में नहीं सोना चाहिए। उसके अतिरिक्त शेषरात्रि जो लगभग छः घंटे की है उस भाग में निंद्रा का सेवन करना चाहिए।

निद्रा का महत्वः चरकसंहिता में सूत्रस्थान अध्याय 21 में कहा गया है कि–

यदि निद्रा का सेवन उचित समय पर किया जाए तो शरीर को आयु और सुख का लाभ मिलता है। सुखपूर्वक निद्रा से शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक आरोग्यता भी प्राप्त होती है। ज्ञानेन्द्रियों की अपने विषय में सुप्रवति होती है।

– **वैद्या हेतल दवे**

अतिनिद्रा या दिन में शयन से कफ की अधिकता हो जाती है जिससे विषय का ज्ञान नहीं हो पाता। इसी प्रकार अल्पनिद्रा या अनिद्रा से इंद्रियों व मन को विश्राम न मिलने से ज्ञान ग्रहण क्रिया स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाती।

निद्रायत्तं सुखं दुःखं कार्श्यं बलाबलम्। वृषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च।। यदि निद्रा का सेवन उचित समय पर किया जाए तो शरीर को आयु और सुख से युक्त करती है। सुखपूर्वक निद्रा से शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक आरोग्यता भी प्राप्त होती है। ज्ञानेन्द्रियों की अपने विषय में सुप्रवृति होती है। निद्रा का प्रभाव जीवन पर निम्न रूप में पड़ता है–

सुख–दुःख – सम्यक् व यथोचित् रूप में सेवन की गई निद्रा सुख प्रदान करती है तथा असमय की अयथोचित निद्रा दुःख व बैचेनी को उत्पन्न करती है।

पुष्टि–कार्श्य – पुष्टि–कार्श्य का तात्पर्य है शरीर का पुष्ट होना तथा दुबला–पतला होना। जब उचित रूप से निद्रा का सेवन किया जाता है तो शरीर में आहार का सम्यक् पाचन होता है जिससे शरीर में रस, रक्त आदि ध ातुओं की पुष्टि निर्बाध रूप में होती रहती है परिणामतः शरीर के अंगावयय पुष्ट होते हैं। यदि अनुचित रूप से या अतिनिद्रा का सेवन किया जाए तो शरीरस्थ मार्ग कफ वृद्धि के कारण अवरुद्ध होते हैं जिससे धातुओं का पोषण यथोचित रूप में नहीं हो पाता तथा शरीर में बल का क्षय हो जाता है।

बल–अबल – सम्यक् निद्रा सेवन करने से शरीर व मन में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता रहती है जो कि बल है। व्यक्ति का शरीर भी ओजवान लगता है। असम्यक् निद्रा से इससे विपरीत होता है।

वृषता–क्लीबता – वृषता का अर्थ है वीर्यवृद्धि तथा पौरुष शक्ति की वृद्धि और क्लीबता का अर्थ है नपुंसकता। सम्यक् निद्रा का सेवन करने से शरीरस्थ सभी धातुओं की पुष्टि होती है जिससे शुक्र धातु की भी वृद्धि होती है परिणामतः पौरुष शक्ति सम्यक् बनी रहती है। सम्यक् निद्रा से मानसिक प्रसन्नता होती है, जिससे मन में संकल्प शक्ति सामान्य रहती है, जो कि सर्वोत्तम वृष्य भाव माना गया है इसके विपरीत अनुचित रूप में सेवन की गई निद्रा से धातुएं क्षीण हो जाती हैं परिणामतः व्यक्ति में शुक्र और ओज़ का क्षय हो जाता है जिससे दौर्मनस्यता आती है। आचार्य चरक ने दौर्मनस्य स्थिति को सर्वाधिक क्लीबकारक माना है।

ज्ञान–अज्ञान – जब किसी विषय का संयोग इंद्रिय से, इंद्रिय का संयोग मन और आत्मा से होता है तब इस संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब इन्द्रियां और मन कार्य करते–करते थक जाते हैं तब निद्रा आती है। विश्राम के बाद मन व इंद्रियां पुनः विषय ग्रहण के लिए समर्थ हो जाते हैं। सम्यक् निद्रा से ज्ञानोत्पत्ति की क्रिया अबाधरूप से चलती रहती है परंतु जब असम्यक् रूप से निद्रा का सेवन होता है तब ये दोनों ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते।

अतिनिद्रा या दिन में शयन से कफ की अधिकता हो जाती है जिससे विषय का ज्ञान नहीं हो पाता। इसी प्रकार अल्पनिद्रा या अनिद्रा से इंद्रियों व मन को विश्राम न मिलने से ज्ञान ग्रहण क्रिया स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाती। अगर रात्री जागरण किया गया हो तो आचार्य **वाग्भट्ट** ने प्रातःकाल में जागरण काल के आधे समय तक बिना भोजन किए सोने का निर्देश दिया है।

- निद्रा से व्यक्ति स्वस्थ रहता है।
- निद्रा से यादशक्ति ठीक रहती है।
- निद्रा से सृजन शक्ति व रचनात्मकता बढ़ती है।
- निद्रा से अवसाद कम करने में मदद मिलती है।
- निद्रा से वजन कम करने में सहायता मिलती है।
- निद्रा से हृदय का कार्य व्यवस्थित रहता है।

आचार्य चरक ने दर्शाया है कि अगर व्यक्ति नियमपूर्वक आहार व शयन का सेवन करे तो उसे स्थूलता–मोटापा व दूबलापन से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। अर्थात् शरीर की स्थूलता और कृशता विशेषकर आहार व निद्राजन्य ही होती है एक सर्वे के अनुसार विभिन्न देशों में औसत निद्राकाल निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः–

देश	सामान्य निद्रा समय (घंटों में)
न्यूजीलैंड	7.25
युनाइटेड किंगडम	7.16
आस्ट्रेलिया	7.15
फ्रांस	7.08
जर्मनी	7.07
कनाडा	7.05
युनाइटेड स्टेट्स	6.99
इटली	9.4
स्पेन	6.91
चीली	6.80
मेक्सिको	6.76
कोलम्बिया	6.75
होंगकोंग	6.61
रिपब्लिक ओफ कोरिया	6.56
टाइवान	6.56
सिंगापुर	6.56
भारत	**6.55**
जापान	6.35

अतः तालिका से स्पष्ट है कि व्यक्ति को 6 से 10 घंटे की निद्रा सेवन करनी चाहिए। तभी वह स्वस्थ्य रह सकता है। ❑❑

किसानों का बीटी कॉटन से मोह भंग

देश में एक समय किसानों को बीटी कॉटन को अपनाने की बात कही जा रही थी। लेकिन, अब किसानों का बीटी कॉटन से मोहभंग हो रहा है। किसान अब बीटी कॉटन का साथ छोड़कर देसी वैरायटी पर भरोसा जता रहे हैं। इसका कारण बीटी कॉटन पर बीमारियां लगने से किसानों को हुआ नुकसान। इसी नुकसान के चलते पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों में किसानों को आत्महत्या तक करने को मजबूर होना पड़ा था। देश में कॉटन की बुआई तेजी से हो रही है, जिसमें देशी कॉटन का रकबा भी पिछले साल से 2 गुना होने की उम्मीद जताई जा रही है।

उत्तरी राज्यों में जून के अंतिम सप्ताह तक हुई कॉटन की कुल बुआई में लगभग 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक देसी कॉटन की बुआई हुई है, जो कि 3 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकती है। पिछले साल यह रकबा 1.78 लाख हेक्टेयर था। जबकि, इससे पहले साल देसी कॉटन का रकबा 10 हजार हेक्टेयर के आसपास रहता था। किसानों के इस रूझान को देखते हुए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च भी देसी कॉटन की वैराइटी को डवलप कर रहा है।

बीटी कॉटन के क्षेत्र में अमरीका की बीज कंपनी 'मोनसेंटो' का ही दुनियाभर में वर्चस्व है। नेशनल सीड एसोसिएशन के डाटा के अनुसार पिछले साल 2016–17 में मोनसेंटो कंपनी की बीज बिक्री में 15 फीसदी की कमी आई थी। कंपनी ने 2015–16 में लगभग 410 लाख पैकेट बीटी कॉटन बीज के बेचे थे। लेकिन, 2016–17 में यह 360 लाख के आसपास ही रहा था। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और यहां तक कि महाराष्ट्र के किसानों ने भी कुछ हिस्से में देसी कॉटन ही बोई थी।

वैश्विक वृद्धि में भारत ने चीन को पछाड़ा

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत वैश्विक वृद्धि के स्तंभ के रूप में उभरा है और दशकों तक यह चीन से बढ़त बनाए रखेगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के

'सेंटर फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट' के वृद्धि अनुमानों के अनुसार भारत कई कारणों से 7.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ 2025 तक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर बना रहेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने निर्यात आधार का विविधीकरण किया है और इसमें रसायन, वाहन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अधिक जटिल क्षेत्रों को शामिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख पेट्रोलियम अर्थव्यवस्थाएं एक संसाधन पर निर्भर रहने का प्रभाव झेल रही हैं। वहीं भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम ने नई क्षमताएं हासिल की हैं, जो अधिक विविध और अधिक जटिल उत्पादन की अनुमति देता है, जो आगामी वर्षों में तेज वृद्धि का संकेत देता है।

खेती की आमदनी पर नहीं लगेगा जीएसटी

खेत में उगी वस्तुओं के बेचने से किसी किसान को यदि साल में करोड़ों रुपये की भी आमदनी होती है तो भी उसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण कराने या कर चुकाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए किसानों की आमदनी चाहे साल में एक लाख रुपये हो, दस लाख रुपये हो, बीस लाख रुपये हो या 50 लाख रुपये हो या एक करोड़ रुपये ही क्यों न हो, उन्हें जीएसटी नेटवर्क में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन उत्पादों पर भी देना होगा एमआरपी

ऑनलाइन ग्राहकों के संरक्षण के लिए सरकार ने ई–कामर्स कंपनियों से उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और अन्य ब्यौरा मसलन मियाद समाप्त होने की अवधि एवं कस्टमर केयर का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में विधि मापतौल (पैकेटबंद जिंस) नियमों–2011 में संशोधन किया है। कंपनियों को इस

नए नियम के अनुपालन के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि जिस तरह ऑफलाइन ग्राहकों को संरक्षण देने की व्यवस्था है, ऑनलाइन ग्राहकों को भी यह संरक्षण मिलना चाहिए। अभी तक ऑनलाइन बेचे जाने वाले सामान पर एमआरपी प्रकाशित होता है। हमने कंपनियों से लेबल पर अतिरिक्त ब्यौरा देने को कहा है। एमआरपी के अलावा कंपनियों को विनिर्माण की तारीख, मियाद समाप्त होने की अवधि, शुद्ध भार, किस देश से अमुक उत्पाद आया है और कस्टमर केयर की जानकारी देनी होगी।

कंपनियों को नए नियम के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। जनवरी, 2018 से यह अनिवार्य होगा कि जो सामान ई–कामर्स प्लेटफार्म के जरिये बेचा जा रहा है, उस पर ये सभी घोषणाएं होंगी अन्यथा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं कंपनियों को यह ब्योरा बड़े फोंट में छापना होगा जिससे उपभोक्ताओं को उन्हें पढ़ने में परेशानी नहीं हो।

थर्ड एसी कोच की लोअर बर्थ दिव्यांगों को आरक्षित

भारतीय रेलवे ने एक अहम फैसला करते हुए समाज के एक विशेष वर्ग को बड़ी सौगात दे दी है। ऐसे में अगर आप ट्रेन के थर्ड एसी कोच में सफर की योजना बना रहे हैं और चाहते हैं कि

आपको लोअर बर्थ दे दी जाए, तो अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे ने ट्रेन के थर्ड एसी कोच की लोअर बर्थ दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर दी है।

रेलवे की ओर से 3 एसी की लोअर बर्थ दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर दिए जाने के बाद अब इस वर्ग के लोगों का सफर और भी खुशनुमा हो जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सिर्फ स्लीपर क्लास में ही इस तरह की सुविधा रेलवे की ओर से दी जाती है। दरअसल दिव्यांगों को बीच वाले और टॉप वाले बर्थ में चढ़ने के लिए असुविधा होती है और कई बार इसको लेकर शिकायतें भी आ चुकी हैं। ऐसी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ही रेलवे ने यह कदम उठाया है।

22 राज्यों ने खत्म किए चेक पोस्ट

जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों ने चेक पोस्ट खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक 22 राज्यों ने चेक पोस्ट खत्म कर दिए हैं। बाकी 8 राज्यों में चेक पोस्ट खत्म करने का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

जिन राज्यों में चेक पोस्ट खत्म किए गए हैं– आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोआ, हरियाणा, झारखंड, ओडीसा, पांडीचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड शामिल हैं तथा असम, हिमांचल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, मिजोरम सहित त्रिपुरा में चेक पोस्ट खत्म किए जाने की कार्रवाई चल रही है।

200 रु. के नये नोट की छपाई शुरू

छोटे नोटों की किल्लत दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 200 रु. के नोटों की छपाई शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार आरबीआई ने प्रिंट ऑर्डर दे दिए हैं। रिजर्व बैंक ने मार्च महीने में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में 200 रुपये के नोट छापने का निर्णय लिया था। इस नोट में एडवांस सेक्योरिटी फीचर होंगे जिससे की जालसाजी से बचा जा सके। नकली नोट तैयार न किया जा सके।

जीएसटी से पहले जमकर खरीदा गया सोना

देश में जीएसटी के लागू होने से पहले लोगों ने जमकर सोना खरीदा। बीते साल के मुकाबले इस साल जून महीने में यह बढ़कर 75 टन हो गया, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में सिर्फ 22.7 टन सोने का आयात हुआ

था। साल की पहली छमाही के दौरान सोने का आयात बढ़कर 514 टन हो गया जो कि बीते वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 161 फीसदी ज्यादा है।

जीएसटी लागू होने से पहले ज्वैलर्स भांप गए थे कि सोने पर टैक्स बढ़ने वाला है, जितना ज्यादा टैक्स होगा सोना उतना ही महंगा होगा, ऐसे में सोना महंगा होने से पहले ही ज्वैलर्स ने अपना स्टॉक भर लिया। यह जानकारी जीएफएमएस के प्रोविजनल डेटा के जरिए सामने आई है। गौरतलब है कि जीएसटी को 1 जुलाई से ही देशभर में लागू किया जा चुका है।

लंगर और प्रसाद पर नहीं लगेगा जीएसटी

धार्मिक संस्थाओं के 'अन्न क्षेत्र' में मुफ्त में वितरित किए जा रहे खाने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा। सरकार ने साफ कहा कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, दरगाह और चर्च में लोगों को मुफ्त आवंटित किए जाने वाले प्रसाद इसके दायरे से बाहर हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जाते हुए उन खबरों को पूरी तरह असत्य बताया जिनमें कहा गया था कि धार्मिक संस्थाओं से मुफ्त वितरित होने वाले खाने पर भी जीएसटी लगेगा। हालांकि प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान और सेवाओं पर जीएसटी लगेगा। इनमें चीनी, खाद्य तेल, घी, मक्खन और इन चीजों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इन वस्तुओं

का अलग–अलग इस्तेमाल होता है। इसलिए किसी खास उपयोग को ध्यान में रखते हुए इनके लिए टैक्स की दरें तय करना कठिन है। जीएसटी में एंड यूज यानी अंतिम उपभोग के आधार पर छूट की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए धार्मिक संस्थाओं में वितरित किए जाने वाले खाने के बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट को भी टैक्स फ्री करना मुश्किल होगा।

बिना सर्विस चार्ज करे ऑनलाईन ट्रेन टिकट बुक

ट्रेन में सफर करने वालों को ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पर 30 सितंबर तक अब सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। सर्विस चार्ज में छूट की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो गई थी, जिसे इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। इससे प्रति टिकट 40 रुपए तक की बचत होगी। नोटबंदी के दौरान रेल टिकटों की डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने पिछले साल 23 नंवबर से 31 मार्च 2017 तक सर्विस चार्ज माफ कर दिया था। बाद में इसे बढाकर 30 जून 2017 कर दिया गया। अब इस मियाद को बढ़ाकर 30 सितंबर 2017 कर दिया गया है।

भारत दूध और गेंहू का सबसे बड़ा उत्पादक

2026 तक भारत पूरे विश्व में दूध और गेंहू का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा। वहीं, आबादी के लिहाज से चीन को पछाड़कर नंबर 1 स्थान पर

पहुंच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी की पहली तिमाही में भारत दूध उत्पादन के मामले में तिगुना हो जाएगा। इस तरह से इसमें 49 फीसदी तक की ग्रोथ देखी जाएगी। दूध उत्पादन के मामले में भारत यूरोपियन यूनियन को पीछे कर देगा, जो फिलहाल सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है।

भारत में गेंहू की उपज में अगले 10 सालों में 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी। अनुमान है कि भारत 2026 तक 15 मीट्रिक टन, पाकिस्तान 6 मीट्रिक टन और चीन 5.5 मीट्रिक टन गेंहू का उत्पादन करेगा। हालांकि भारत में गेंहू की बुवाई एरिया में केवल 1.8 फीसदी की बढ़त देखने को मिलेगी।

विश्व की जनसंख्या 2026 तक 820 करोड़

अगले 10 सालों के लिए जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 तक विश्व की आबादी 730 करोड़ से 820 करोड़ हो जाएगी, जिसमें से 56 फीसदी हिस्सा भारत और अफ्रीका के सहारा रीजन का होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जनसंख्या अभी 130 करोड़ है जो कि दस सालों में 150 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। इस लिहाज से यह चीन को भी पछाड़ देगा। ❑❑

हमारी रोजमर्रा की जरूरतें- आज से कितनी सस्ती-महंगी

दैनिक भास्कर
राष्ट्रीय संस्करण, नई दिल्ली, शनिवार, 1 जुलाई, 2017
dainikbhaskar.com

भास्कर आपका GST नॉलेज सोर्स

तंबाकू प्रोडक्ट पर 28% टैक्स के साथ-साथ 290% तक सेस भी लगेगा

कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

सीमेंट, प्लाई, टाइल्स पर टैक्स बढ़ेगा। लेकिन घर बनाने के बाकी ज्यादातर सामान सस्ते होंगे।

गुटखा पर 204% सेस, पान मसाले पर 60% जबकि तंबाकू के लिए यह दर 65-204% तक है। 28% जीएसटी अलग।

सिगार और पाइप में भरे जाने वाले तंबाकू मिक्स पर 28% जीएसटी के अलावा 290% सेस।

वो हर सामान जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं...

गुड्स

खाने-पीने का सामान

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
सस्ते			
कॉर्नफ्लेक्स	29.5	18	-11.5
नमकीन भुजिया, मिक्सचर, अचार, मुरब्बा, केचप, सॉस	18	12	-6
खाद्य तेल, काजू, किशमिश	11	5	-6
पास्ता, नूडल्स, केक, पेस्ट्री, बिस्किट 100 रु./किलो से ज्यादा	22	18	-4
चॉकलेट, च्यूइंग गम	29.5	28	-1.5
चायपत्ती	5	5	0
टॉफी, डायबेटिक फूड	18	18	0
मसाले, लौंग, दालचीनी, जायफल, चीनी, मिठाई	5	5	0
जैम, जेली	12.5	12	-0.5
बादाम, खजूर, अंजीर	12.5	12	-0.5
बच्चों का मिल्क फूड	5	5	0
बिस्किट 100 रु./किलो तक	18.5	18	-0.5
रस्क, पिज्जा ब्रेड	5	5	0
महंगे			
इंस्टैंट कॉफी/चाय	18.5	28	+9.5
आलू चिप्स	12.5	18	+5.5

दूध और उसके उत्पाद

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
सस्ते			
आइसक्रीम	22.5	18	-4.5
बटर ऑयल	22.5	12	-10.5
कंडेंस्ड मिल्क	18	18	0
ब्रांडेड पनीर, छेना	5	5	0
महंगे			
मिल्क पाउडर, छाछ	0	5	+5
घी और चीज	5	12	+7

जूस, ड्रिंक्स और मछली

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
सस्ते			
मिनरल वाटर	29.5	18	-11.5
जूस युक्त ड्रिंक्स, दूध युक्त ड्रिंक्स	20	12	-8
प्रोटीन फूड/कंसेंट्रेट	29.5	28	-1.5
फ्रोजन, सूखी मछली	5	5	0
फ्रूट-वेजिटेबल जूस	12.5	12	-0.5
सोयामिल्क ड्रिंक	12.5	12	-0.5
महंगे			
कोल्ड ड्रिंक्स	32.5	40	+7.5

इनपर टैक्स नहीं : गेहूं, आटा, मैदा, दाल, बेसन, ब्रेड, चावल, चूड़ा, मुरमुरे, सूजी, पापड़, ताजी फल-सब्जियां, नमक, दूध, दही, लस्सी, पनीर, छेना, ताजा मीट, अंडे, मछली पर पहले भी टैक्स नहीं था। जीएसटी में भी इन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ब्रांडेड अनाज, दाल, आटा, मैदा, बेसन पर 5% जीएसटी लगेगा।

ऑटो

हाइब्रिड छोड़ सभी कारें सस्ती होंगी, पर बाइक महंगी

सस्ते	पुराना टैक्स	जीएसटी	अंतर
सभी तरह की एसयूवी	49%	43%	-6%
छोटी कार (पेट्रोल)	29%	29%	0%
मझोली कार(पेट्रोल/डीजल)	43%	43%	0%
छोटी कार (डीजल)	30%	31%	1%
कार, बस, ट्रक टायर	30.5%	28%	-2.5%

महंगे	पुराना टैक्स	जीएसटी	अंतर
बाइक	26	28	+2
ट्रक	26	28	+2
हाइब्रिड कार	29.5	43	+14.5

* छोटी कार (डीजल) 1500 सीसी से कम। छोटी कार (पेट्रोल) 1200 सीसी से कम। मझोली 1200 से 1500 सीसी।

गुड्स

किचन में प्रयोग होने वाले सामान

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
सस्ते			
चम्मच, कटलरी	29.5	12	-17.5
सेरेमिक,पोर्सिलेन,चाइना प्रोडक्ट, लकड़ी की चीजें	29.5	18	-11.5
एलपीजी स्टोव, स्टील और तांबे के बर्तन, स्टील की चीजें	18.5	12	-6.5
रसोई गैस	7	5	-2
कांच की बोतल-जार-बर्तन, प्लास्टिक सामान	18	18	0
एल्यूमीनियम के बर्तन	12.5	12	-0.5

घरेलू चीजें

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
सस्ते			
टूथ पाउडर	29.5	12	-17.5
टूथपेस्ट, टूथ ब्रश	29.5	18	-11.5
ताश, कैरम, लूडो, चेस	18.5	12	-6.5
बटन	22	18	-4
घड़ियां, आतिशबाजी	29.5	28	-1.5
कॉटन/जूट हैंडबैग, वैनिटी बैग	18.5	18	-0.5
सिलाई मशीन (मोटर)	12.5	12	-0.5
महंगे			
छाता, सिलाई मशीन (हाथ)	5	12	+7

कॉस्मेटिक्स

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
सस्ते			
हेयर ऑयल, साबुन	29.5	18	-11.5
मेकअप के सामान, सनस्क्रीन लोशन, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर कलर/डाइ, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट, पाउडर, मैनिक्योर/पैडीक्योर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक शेवर, शू पॉलिश/क्रीम	29.5	28	-1.5
महंगे			
लिक्विड सोप,डिटरजेंट रेजर, कैंची, नेल कटर	18.5	28	+9.5

अगरबत्ती और लोभान महंगे : रुद्राक्ष माला, यज्ञोपवीत, पंचगव्य, पंचामृत, चंदन टीका, रोली, कलावा पर पहले भी टैक्स नहीं था। जीएसटी में नहीं होगा। लेकिन लोभान, मिसरी, बताशा, बूरा और अगरबत्ती पर पहले टैक्स नहीं था। लेकिन अब 5% टैक्स लगेगा।

गुड्स

घर बनाने के सामान

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
सस्ते			
स्टील के शीट-बार-एंगल, प्लास्टिक डोर-विंडो, तारपीन तेल	29.5	18	-11.5
पेंट, वार्निश, पुट्टी, वाल पेपर, सेरामिक्स प्रोडक्ट मार्बल/ग्रेनाइट प्रोडक्ट, स्टील के बाथ फिटिंग्स, प्लास्टिक ट्यूब, पाइप,फ्लोरिंग, बाथ फिटिंग्स,फ्लोर कवरिंग और बाथरूम सामान, एल्युमीनियम डोर-विंडो फ्रेम, वाटर प्रूफिंग, लकड़ी के फ्रेम	29.5	28	-1.5
स्टील पाइप	18.5	18	-0.5%
रेत	5	5	0
महंगे			
सीमेंट	26-30	28	+2,-2
पार्टिकल/प्लाई बोर्ड	18	28	+10
टाइल्स	18	28	+10

फर्निशिंग गुड्स

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
कंबल, चादर, पर्दे, तकिए का कवर, मच्छरदानी, टेबल क्लॉथ, कुशन कवर, गद्दे और रजाई			
▪ 1,000 रु. तक	5	5	0
▪ 1,000 रु. से ज्यादा	5	12	+7
सस्ते			
एंब्रॉयडरी	15	5	-10
कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो	29	18	-11.5
कारपेट	18	12	-6
महंगे			
फोटो फ्रेम	18.5	28	+9.5

ज्यादातर इलेक्ट्रिक सामान सस्ते

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
यूपीएस	29.5	18	-11.5
एलईडी लाइट/फिक्सचर	18	12	-6
बिजली के स्विच/सामान, इनसुलेटेड वायर-केबल, पंखा, ब्लोअर, लैंप और लाइट फिटिंग्स	29.5	28	-1.5

गुड्स

इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी सस्ते होंगे

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
कैमरा, स्पीकर, सेट टॉप बॉक्स	29	18	-11
कैलकुलेटर	18	12	-6
मोबाइल फोन	5-12.5	12-	0.5 -+7
टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वाशर, ग्राइंडर मिक्सर, ड्रायर, टी मेकर, इलेक्ट्रिक हीटर, हॉट प्लेट, वीडियो गेम कंसोल	29	28	-1

ऑफिस आइटम्स

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
लैपटॉप, डेस्क टॉप, पार्ट्स, मॉनिटर	17	18	+1
साधारण प्रिंटर	17	18	+1
महंगे			
मल्टीफंक्शन प्रिंटर, फोटो कॉपी, फैक्स मशीन, माउस, कीबोर्ड, मोडम, राउटर, सीडी-डीवीडी	17	28	+11

कृषि; ट्रैक्टर सस्ता, खाद महंगे

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
सस्ते			
हैंडपंप और उसके पार्ट्स	18	5	-13
ट्रैक्टर	17	12	-5
ट्रैक्टर पार्ट्स	18	18	0
रासायनिक खाद	5	5	0
बीज, बिना ब्रांड के ऑर्गेनिक खाद	0	0	0
महंगे			
हारवेस्टर, थ्रेशर, ग्रेडर, पार्ट्स	0	12	+12
कीटनाशक	5	18	+13

इमिटेशन ज्वैलरी सस्ती, बाकी महंगी

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
इमिटेशन ज्वैलरी	5	3	-2
सोना-चांदी, प्लैटिनम, डायमंड	1	3	+2
जेम्स-ज्वैलरी	1	3	+2

कपड़ा सस्ता, पर सिले हुए महंगे

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
कॉटन और सिंथेटिक फैब्रिक	5	5	0
सिले कपड़े 1,000 रु. तक	5	5	0
सिले कपड़े 1,000 रु. से ज्यादा	5	12	+7

फुटवियर, लेदर प्रोडक्ट सस्ते

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
500 रु. तक	5	5	0
500 रु. से ज्यादा	12.5	18	-5.5
बैग, बेल्ट	29	28	-1

पेपर प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे

गुड्स	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
नैपकिन, टिश्यू पेपर, रजिस्टर, अकाउंट बुक	29	18	-11
प्रिंटेड कार्ड, कैलेंडर	18	12	-6

▪ मौजूदा टैक्स दरें सेंट्रल एक्साइज की 2016-17 की दरों में दिल्ली का वैट और एंट्री टैक्स जोड़कर कैल्कुलेट की गई हैं।

एजुकेशन: चीजें सस्ती, सर्विस महंगी

	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
बच्चों की कलर बुक	0	0	0
स्टेपलर	29.5	18	-11.5
बॉल पेन, क्रेयॉन, पैस्टल, ड्राइंग चारकोल, पेंसिल और शार्पनर	18	12	-6
स्कूल बैग, रिफिल फाउंटेन पेन, निब,	18	12	-5
एक्सरसाइज बुक	12.5	12	-0.5

कोचिंग की फीस पर 15% के बदले अब 18% टैक्स लगेगा
कहने को एजुकेशन जीएसटी से बाहर है। पर सिर्फ स्कूल-कॉलेज की फीस के मामले में। नॉन-कन्वेंशनल कोर्स और कोचिंग क्लासेज की फीस पर 15% सर्विस टैक्स लगता था। अब 18% टैक्स लगेगा। हॉस्टल में खाने-पीने की सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी।

एक जैसी सेवाएं, एक टैक्स फ्री, लेकिन दूसरी टैक्सेबल

- व्यक्ति को घर किराए पर दिया तो टैक्स नहीं, लेकिन वहीं घर अगर कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए दिया तो 18% टैक्स देना होगा।
- म्यूजियम, नेशनल पार्क, जू, टाइगर रिजर्व के टिकट पर टैक्स नहीं है। लेकिन थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड जैसी जगहों के टिकट पर 28% टैक्स लगेगा। जीएसटी में इसे लक्जरी माना गया है।
- सर्कस, डांस, थियेटर, कंसर्ट का टिकट 250 रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं। लेकिन इससे ज्यादा के टिकट पर 18% टैक्स देना पड़ेगा।
- **टोल चार्ज लगेगा, लेकिन इस पर टैक्स नहीं लगेगा।**

हेल्थ: दवाएं महंगी, सर्विसेज सस्ती

	पुराना टैक्स (%)	जीएसटी (%)	अंतर (%)
सैनिटरी नैपकिन	0	12	+12
स्टेंट	5	5	0
इन्सुलिन	5	5	0
आयुर्वेदिक,यूनानी-सिद्धा-होम्यो	5	5	0
चश्मा	12.5	12	-0.5
चश्मे का लेंस	5	12	+7
डेंटल फिलिंग	15	18	+3

जीएसटी में 12% टैक्स से दवाएं औसतन महंगी होंगी
दवाओं पर 9% के बदले 12% टैक्स लगेगा। पर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली 78% दवाओं के दाम नहीं बढ़ेंगे। इंपोर्टेड मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे।
▪ **गर्भनिरोधक, पेसमेकर और सुनने की मशीन पर पहले भी टैक्स नहीं लगता था। जीएसटी में भी नहीं लगेगा।**

...और वह सर्विसेज जो रोज काम आती हैं

फोन बिल, फाइनेंशियल सर्विस महंगी

सर्विस	पुराना	जीएसटी	अंतर
फोन बिल	15	18	+3
बीमा प्रीमियम	15	18	+3
फाइनेंशियल सर्विस	15	18	+3
कूरियर एजेंसी	15	18	+3

टूर एंड ट्रैवल: आम लोगों के लिए सस्ता, बिजनेस क्लास के लिए महंगा

सर्विस	पुराना	जीएसटी	अंतर
नॉन-एसी रेल टिकट	0	0	0
एसी रेल टिकट	4.5	5	+0.5
ट्रेन से सामान ढुलाई	4.5	5	+0.5
ट्रक से सामान ढुलाई	4.5	5	+0.5

सर्विस	पुराना	जीएसटी	अंतर
टूर ऑपरेटर	9	5	-4
कैब सर्विस	6	5	-1
एयर टिकट-इकोनॉमी	6	5	-1
एयर टिकट-बिजनेस	9	12	+3

रेस्तरां-रियल एस्टेट सर्विस महंगी

सर्विस	पुराना	जीएसटी	अंतर
रोपवे, केबल कार	15	18	+3
रियल एस्टेट	5.5	12	+6.5
रेस्तरां एसी	11	18	+7
रेस्तरां नॉन एसी	11	12	+1

होटल ▪ **पहले:** 1000 से कम रेंट पर 5%, 1000 से ज्यादा पर 10% और 5000 से ज्यादा पर 0% ▪ **जीएसटी में:** 999 रु. तक कोई टैक्स नहीं, 1000-2,499 रु. तक 12%, 2,500-7,499 रु. तक 18%, 7,500 रु. से ज्यादा पर 28% टैक्स।

साभार: दैनिक भास्कर